

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-307

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों का उन्नयन

***307. श्री रमेश बिन्द:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों के उन्नयन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ताप और जल विद्युत संयंत्रों के उन्नयन के लिए कुल लागत का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

श्री रमेश बिन्दु द्वारा पूछे गए “ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों का उन्नयन” के बारे में लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 307 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत यूनिटों में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम)/कार्यकाल विस्तार (एलई) कार्यों को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2020 में आरएंडएम दिशानिर्देश जारी किए। मंत्रालय ने दिनांक 16.03.2022 को कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में आरएंडएम/एलई कार्यों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और दिनांक 01.08.2023 को कोयला आधारित ताप विद्युत यूनिटों में आरएंडएम/एलई/उन्नयन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संशोधित आरएंडएम दिशानिर्देश परिचालित किए।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने दिनांक 20.01.2023 की एडवाइज़री द्वारा संयंत्रों का कार्यकाल समाप्त करने की बजाए वर्ष 2030 तक और उसके बाद संयंत्रों को चलाने के लिए आर एंड एम/एलई के कार्यान्वयन और यदि संभव हो तो, ग्रिड में सौर तथा पवन ऊर्जा एकीकरण को सुविधा प्रदान करने के लिए दो शिफ्ट मोड में संयंत्रों को प्रचालन के लिए तैयार करने का सुझाव दिया।

राज्य और केंद्रीय दोनों क्षेत्रों में वर्ष 2017-22 के दौरान कुल 1197 मेगावाट क्षमता की 8 ताप विद्युत यूनिटों में आर एंड एम/एलई कार्य पूरे हो चुके हैं। जून, 2033 तक आर एंड एम/एलई कार्यों के लिए केंद्रीय, राज्य तथा निजी क्षेत्र में 38150 मेगावाट क्षमता की 148 कोयला आधारित ताप विद्युत यूनिटों को अभिचिन्हित किया गया है।

तथापि, उल्लेखनीय है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार उत्पादन एक अनुज्ञप्ति रहित गतिविधि है और कोयला आधारित ताप विद्युत यूनिटों में आर एंड एम/एलई करने का अंतिम निर्णय विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा अपनी स्वयं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा पर्यावरणीय कारणों के आधार पर लिया जाता है।

जल विद्युत संयंत्रों के मामले में, सीईए ने जुलाई, 2020 में "जल विद्युत स्टेशनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए दिशानिर्देश" तैयार और प्रकाशित किए हैं, जो आयोजना, आर एंड एम कार्यों को अभिचिन्हित करने, डीपीआर तैयार करने, निविदाकरण तथा कार्यों के कार्यान्वयन में जलविद्युत यूटिलिटीयों को सहायता प्रदान करता है। .

वर्ष 2017-22 के दौरान केंद्रीय और राज्य क्षेत्र में कुल मिलाकर 2049.4 मेगावाट की 35 जल विद्युत यूनिटों में आर एंड एम/एलई पूरा हो चुका है। वर्ष 2022-27 के लिए आर एंड एम/एलई कार्यों के लिए केंद्रीय, राज्य तथा निजी क्षेत्र में 12183.1 मेगावाट क्षमता की 241 जल विद्युत यूनिटों को अभिचिन्हित किया गया है।

(ग) और (घ) : आर एंड एम/एलई कार्यों की अनुमानित लागत यूनिट-दर-यूनिट अलग-अलग होती है और दक्षता में सुधार, सुरक्षा अपेक्षाओं, उपकरण/घटकों के अप्रचलन, अप्रत्याशित विफलताओं, अत्यधिक उपयोग के कारण अक्षमता एवं अवशिष्ट कार्यकाल मूल्यांकन (आरएलए)/स्थिति मूल्यांकन (सीए)/विध्वंसक परीक्षण अध्ययन तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा अध्ययन के आधार पर पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में, आर एंड एम कार्यों की अनुमानित लागत निम्नलिखित पर निर्भर करती है:

- i) विद्युत क्षमता अध्ययन
- ii) इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पहलू
- iii) सिविल तथा ईएंडएम कार्यों का लागत अनुमान
- iv) आईडीसी (निर्माण के दौरान ब्याज)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3456

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

कोयले का उत्पादन और उपलब्धता

3456. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कोयले द्वारा उत्पादित बिजली के कुल उत्पादन का प्रतिशत कितना है; और

(ख) इसके लिए कोयले का पर्याप्त उत्पादन और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : कोयले से किए गए उत्पादन की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

विषय	कुल उत्पादन (एमयू)	कोयले से उत्पादन (एमयू)	कोयले के उत्पादन की प्रतिशतता
2023-24 (जून तक)	437848.64	315384.29	72.06 %
2022-23	1624465.61	1145907.58	70.54 %

(ख) : सरकार ने निर्बाध विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्रों को कोयले की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- विद्युत क्षेत्र के कोयला आपूर्ति संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने हेतु, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में संकटपूर्ण कोयला स्टॉक की स्थिति को सुधारने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थितियों के लिए नियमित रूप से बैठक करता है।
- कोयला स्टॉकों की निगरानी के लिए नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी सचिव-स्तरीय बैठक आयोजित की जाती है।
- रेलवे के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान, कोयला ढोने वाले वैगनों का नेट इंडक्शन लगभग 8800 (लगभग 150 रेक) था। वर्ष 2023-24 के दौरान, कोयला ढोने वाले रेक्स का संभावित नेट इंडक्शन लगभग 200 रेक्स का होगा, जिससे कोयले की लोडिंग के लिए अतिरिक्त 50 रेक/दिन की व्यवस्था हो सकेगी। वैगन इंडक्शन के कारण वार्षिक कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 70 मिलियन टन (एमटी) की वृद्धि संभावित है। इसी प्रकार, वर्ष 2024-25 में कोयला ढोने वाले रेक्स का नेट इंडक्शन लगभग 250 रेक्स का होने की संभावना है, जिससे अतिरिक्त 60 रेक्स/दिन की व्यवस्था हो सकेगी। वैगन इंडक्शन के कारण वार्षिक कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 85 एमटी की वृद्धि होने की संभावना है।
- रेलवे ने कोयला निकासी के संवर्धन के लिए 40 परियोजनाएं अभिचिन्हित की हैं। इन 40 परियोजनाओं में से, 17 परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और 23 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इन 23 परियोजनाओं में से, वर्ष 2026-27 तक लगभग 18 परियोजनाओं के पूरे होने की संभावना है।
- रेलवे के अनुसार, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 185 एमटी की वृद्धि होने की संभावना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3489

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

3489. श्री जयदेव गल्ला:

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की शुरुआत के बाद से अखिल भारतीय स्तर पर औसत तकनीकी और वाणिज्यिक हानि के रूझान का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से संचालित कृषि फीडरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर से कवर की गई जनसंख्या का राज्य-वार अनुपात क्या है;
- (घ) पारंपरिक मीटरों से प्रति माह औसत राजस्व की तुलना में आंध्र प्रदेश में प्रति स्मार्ट मीटर प्रति माह सृजित औसत राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है;
- (ङ) उक्त योजना के अंतर्गत वितरण अवसंरचना कार्यों के घटक के लिए वित्तीय सहायता के लिए पूर्व-अर्हता मानदंड और न्यूनतम बेंचमार्क का ब्यौरा क्या है; और
- (च) वर्ष 2022-23 के लिए योजना के अंतर्गत वितरण अवसंरचना कार्य घटक के लिए वित्तीय सहायता के मानदंडों के अनुसार आंध्र प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक लाना और वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक लाना है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित 'विद्युत यूटिलिटीयों के कार्य-निष्पादन पर रिपोर्ट' के अनुसार, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत से, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक, वितरण यूटिलिटीयों के लिए एटीएंडसी हानियाँ निम्नानुसार हैं:

	2020-21	2021-22
एटीएंडसी हानि (%)	22.32	16.44

एटीएंडसी हानियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ख) : आरडीएसएस के अंतर्गत, मिश्रित फीडरों से कृषि फीडरों के पृथक्करण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जहां कृषि भार 30% से अधिक है। उसके बाद, राज्य/डिस्कॉम इन अलग-अलग फीडरों को पीएम-कुसुम जैसी विभिन्न अन्य स्कीमों के अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रदान करेंगे। राज्य/डिस्कॉम आरडीएसएस के अंतर्गत कृषि फीडरों के पृथक्करण के संस्वीकृत कार्यों की निविदा और अवार्ड देने की प्रक्रिया में हैं।

(ग) : आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरों के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(घ) : आरडीएसएस के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश की विभिन्न डिस्कॉमों के लिए संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्य निम्नानुसार हैं:

डिस्कॉम	संस्वीकृत उपभोक्ता स्मार्ट मीटर (संख्या)		अवार्ड किए गए (संख्या)
	चरण-I	चरण-II	
एपीईपीडीसीएल	9,31,649	3,23,591	9,31,649
एपीएसपीडीसीएल	19,71,134	3,31,510	19,71,134
एपीसीपीडीसीएल	13,03,483	7,47,479	13,03,486
एपी कुल	42,06,266	14,02,580	42,06,269

डिस्कॉम संस्वीकृत कार्यों के अवार्ड और निविदाकरण की प्रक्रिया में हैं और आंध्र प्रदेश राज्य में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना का कार्य अभी शुरू होना है।

(ङ) : आरडीएसएस में परिणाम मूल्यांकन फ्रेमवर्क (आरईएफ) की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुधार के लिए परिणाम संबंधी मापदंडों और ट्रेजेक्ट्रियों के निमित्त कार्य-निष्पादन शामिल है। आरईएफ के दो घटक हैं (i) पूर्व-निर्धारित मानदंड; और (ii) परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स, जिसके ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-III और अनुबंध-IV में दिए गए हैं।

पूर्व-निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली यूटिलिटीयों परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स के निमित्त मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी, जो किसी विशेष वर्ष के लिए निधियां जारी करने के लिए अपनी पात्रता का निर्धारण करेंगी। प्रत्येक डिस्कॉम के लिए परिणाम मूल्यांकन फ्रेमवर्क अलग-अलग होगा और इसे संचयी कार्य-निष्पादन के साथ-साथ वार्षिक कार्य-निष्पादन के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा।

किसी वर्ष के लिए निधियां तभी जारी की जाएंगी जब यूटिलिटी पूर्व-निर्धारित मानदंड को पूरा कर लेंगी और मूल्यांकन मैट्रिक्स पर कुल भारित अंक 60 से अधिक होंगे।

(च) : आरडीएसएस दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय लेखाओं से संबंधित मापदंडों का मूल्यांकन लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं पर आधारित होगा। इसलिए, डिस्कॉमों द्वारा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं के प्रकाशन के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंध्र प्रदेश में डिस्कॉमों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आंध्र प्रदेश के डिस्कॉमों का मूल्यांकन पहले ही किया जा चुका है और स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी डिस्कॉम आरडीएसएस के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3489 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एटीएंडसी हानि % के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

राज्य/डिस्कॉम	एटीएंडसी हानि % में	
	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22
अंडमान और निकोबार	51.94	-
आंध्र प्रदेश	27.25	10.55
अरुणाचल प्रदेश	44.87	48.89
असम	18.73	16.95
बिहार	35.33	32.42
चंडीगढ़	11.89	13.31
छत्तीसगढ़	20.40	18.13
दादरा एवं नगर हवेली	5.17	3.50
दमन और दीव	4.48	4.45
दिल्ली	8.87	8.12
गोवा	12.94	13.28
गुजरात	11.35	10.13
हरियाणा	17.05	13.72
हिमाचल प्रदेश	14.02	12.90
जम्मू एवं कश्मीर	59.28	-
झारखंड	41.36	33.79
कर्नाटक	16.26	11.45
केरल	7.76	7.69
लक्षद्वीप	11.63	-
मध्य प्रदेश	41.47	22.55
महाराष्ट्र	25.54	15.25
मणिपुर	20.33	23.62
मेघालय	30.88	36.15
मिजोरम	36.53	38.99
नागालैंड	60.39	41.28
ओडिशा	29.32	31.26
पुदुचेरी	19.92	11.08
पंजाब	18.03	11.67
राजस्थान	26.23	17.49
सिक्किम	29.37	30.77
तमिलनाडु	13.81	13.46
तेलंगाना	13.33	10.65
त्रिपुरा	37.36	33.25
उत्तर प्रदेश	27.12	30.52
उत्तराखंड	15.39	14.15
पश्चिम बंगाल	19.54	16.67
कुल जोड़	22.32	16.44

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3489 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरों के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरे

राज्य	उपभोक्ता मीटर (सं.)	डीटी मीटर कुल (सं.)	फीडर मीटर कुल (सं.)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	83,573	1,148	114
आंध्र प्रदेश	56,08,846	2,93,140	17,358
अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	10,116	688
असम	63,64,798	77,547	2,782
बिहार	23,50,000	2,50,726	6,427
छत्तीसगढ़	59,62,115	2,10,644	6,720
दिल्ली	-	766	2,755
गोवा	741,160	8,369	827
गुजरात	1,64,81,871	3,00,487	5,229
हरियाणा	74,05,618	1,95,319	13,204
हिमाचल प्रदेश	28,00,945	39,012	1,951
जम्मू एवं कश्मीर	14,07,045	88,037	2,608
झारखंड	13,41,306	19,512	1,226
केरल	1,32,89,361	87,615	6,025
लद्दाख	-	-	-
मध्य प्रदेश	1,29,80,102	4,06,503	8,411
महाराष्ट्र	2,35,64,747	4,10,905	29,214
मणिपुर	1,54,400	11,451	357
मेघालय	4,60,000	11,419	1,324
मिजोरम	2,89,383	2,300	398
नागालैंड	3,17,210	6,276	392
पुदुचेरी	4,03,767	3,105	180
पंजाब	87,84,807	1,84,044	12,563
राजस्थान	1,42,74,956	4,34,608	27,128
सिक्किम	1,44,680	3,229	633
तमिलनाडु	3,00,00,000	4,72,500	18,274
त्रिपुरा	5,47,489	14,908	473
उत्तर प्रदेश	2,69,79,056	15,26,801	20,874
उत्तराखंड	15,84,205	38,016	1,686
पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	3,05,419	11,874
कुल जोड़	20,53,26,855	54,13,922	2,01,695

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3489 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत आगे के मूल्यांकन के लिए डिस्कॉम द्वारा अनिवार्य रूप से पूरे किए जाने वाले पूर्व-निर्धारित मानदंड

- i. डिस्कॉम स्कीम के प्रचालन के पहले दो वर्षों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए) के दौरान प्रत्येक तिमाही के अंत के 60 दिनों के भीतर तिमाही गैर-लेखापरीक्षित लेखाओं और उसके बाद तीसरे वर्ष से 45 दिनों के भीतर लेखापरीक्षित तिमाही लेखाओं को प्रकाशित करेंगे।
- ii. इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम स्कीम के प्रचालन के पहले दो वर्षों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए) के दौरान अगले वर्ष के दिसंबर माह के अंत तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं और उसके बाद तीसरे वर्ष से अगले वर्ष के सितंबर माह के अंत तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को प्रकाशित करेंगे।
- iii. डिस्कॉमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नवीनतम टैरिफ निर्धारण चक्र में किसी प्रकार की नई विनियामक परिसंपत्तियाँ सृजित नहीं की गई हैं।
- iv. राज्य सरकार को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के अनुरूप पिछले वर्ष के लिए सब्सिडी का 100% भुगतान और वर्तमान अवधि तक सब्सिडी का अग्रिम भुगतान सुनिश्चित करना है और परियोजना अवधि के अंत तक शेष सब्सिडी राशि को समाप्त करना है।
- v. सभी सरकारी विभागों/संबद्ध कार्यालयों/स्थानीय निकायों/स्वायत्त निकायों/बोर्डों/निगमों ने मूल्यांकन के अंतर्गत वर्ष के लिए वर्तमान विद्युत देय राशियों का 100% भुगतान कर दिया है।
- vi. सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रगति करना।
- vii. मूल्यांकनाधीन वर्ष के अनुसार जेनेकोस सहित ऋणदाताओं को भुगतान योग्य राशियों के लिए दिनों की संख्या, परिणाम मूल्यांकन फ्रेमवर्क के अनुसार अनुमानित ट्रेजेक्ट्री के बराबर या उससे कम है।
- viii. वर्तमान वर्ष के लिए टैरिफ आदेश, जिसमें मूल्यांकन किया जा रहा है और उपांतिम वर्ष के लिए डू-अप जारी किए गए हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से कार्यान्वित किए गए हैं।

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3489 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉम कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स का सार

क्र.सं.	श्रेणी	मूल्यांकन के लिए वेटेज
1.	वित्तीय स्थिरता	60
2.	अवसंरचना कार्यों का परिणाम	20
3.	अवसंरचना कार्य	10
4.	नीति एवं संरचनात्मक सुधार, क्षमता निर्माण और आईटी/ओटी सक्षमता	10
	कुल	100

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3495

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

बिजली संरक्षण

3495. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान कोई ऊर्जा संपरीक्षा की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष और राज्य-वार ब्यौरा तथा परिणाम क्या रहे;
- (ग) क्या देश के कृषि और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता कार्य सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा देश में बिजली संरक्षण के लिए की गई पहलों/उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, पीएटी स्कीम के अंतर्गत 10 ऊर्जा गहन क्षेत्रों में 492 उद्योगों नामतः लोहा एवं इस्पात, वस्त्र, पेट्रोकेमिकल विनिर्माण यूनिट, लुगदी एवं कागज, रेलवे, सीमेंट, चीनी, डिस्कॉम और क्लोर-एल्कली की आधारभूत ऊर्जा लेखापरीक्षा संचालित की है।

आधारभूत ऊर्जा लेखापरीक्षा व्यवस्था के परिणामों के रूप में पीएटी स्कीम के अंतर्गत अब तक 10 ऊर्जा गहन क्षेत्रों नामतः लोहा एवं इस्पात, वस्त्र, लुगदी एवं कागज, रेलवे, सीमेंट, डिस्कॉम, भवन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र और क्लोर-एल्कली में कुल 349 उद्योगों को अधिसूचित किया गया है। इन उद्योगों को उनकी आधारभूत ऊर्जा खपत को कम करने के लिए विशिष्ट ऊर्जा कमी संबंधी लक्ष्य सौंपा गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, संबंधित क्षेत्रों में पीएटी स्कीम के अंतर्गत शामिल किए गए उद्योगों की राज्यवार सूची अनुबंध में संलग्न है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) स्कीम, मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम, उन्नत ज्योति बॉय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल (उजाला), स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी), ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम, ऊर्जा दक्षता निर्माण, कृषि तथा नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन जैसी विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की हैं, जो विद्युत की खपत को कम करने में सहायता करती हैं।

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3495 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अधिसूचित डीसी की सूची (स्कीम परिणाम)													
क्र.सं.	राज्य	लौह एवं इस्पात	सीमेंट	लुगदी एवं कागज	वस्त्र	डिस्कॉम	पेट्रोकेमिकल विनिर्माण यूनिट#	चीनी#	क्लोर-एल्कली	रेलवे	रिफाइनरी	ताप विद्युत संयंत्र	भवन
1	तमिलनाडु	1	0	0	3	0	0	26	0	2	0	0	6
2	आंध्र प्रदेश	5	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1
3	उत्तर प्रदेश	0	6	6	0	1	0	56	0	2	0	0	5
4	महाराष्ट्र	2	3	0	0	7	6	50	0	0	0	0	7
5	कर्नाटक	18	4	1	3	2	0	52	0	1	0	1	8
6	उत्तर प्रदेश	0	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
7	हरियाणा	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
8	राजस्थान	0	5	0	9	0	1	0	0	0	0	0	2
9	गुजरात	4	1	1	8	8	15	0	1	0	0	0	3
10	पश्चिम बंगाल	17	11	0	0	3	1	0	0	1	0	0	7
11	उत्तराखंड	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	केरल	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	4
13	छत्तीसगढ़	24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
14	झारखंड	8	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	दादर नगर	0	0	0	11	1	2	0	0	0	0	0	0
16	दमन दीव	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17	दिल्ली	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
18	चंडीगढ़	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20	मणिपुर	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
21	मेघालय	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23	जम्मू	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
24	लद्दाख	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
25	कश्मीर	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26	पुदुचेरी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
27	तेलंगाना	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	6
28	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
29	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	त्रिपुरा	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	सिक्किम	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
32	नागालैंड	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	पंजाब	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
34	बिहार	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
35	ओडिशा	28	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
36	हिमाचल प्रदेश	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	मध्य प्रदेश	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	असम	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
39	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	कुल	107	64	9	39	52	0	0	1	10	2	1	64

#अधिसूचित किया जाना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3508
जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

विद्युत की मांग और आपूर्ति

3508. श्री मलूक नागर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में विद्युत की मांग में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विद्युत की मांग में कमी के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : जी नहीं। विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में विद्युत की मांग में वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारंकित प्रश्न संख्या 3508 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा आवश्यकता के संदर्भ में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे

क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023		अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022		बदलाव %	
	आवश्यक ऊर्जा	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आवश्यक ऊर्जा	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आवश्यक ऊर्जा	आपूर्ति की गई ऊर्जा
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(%)
उत्तरी क्षेत्र	463,088	458,640	417,934	413,915	10.8	10.8
पश्चिमी क्षेत्र	475,743	475,157	429,065	428,683	10.9	10.8
दक्षिणी क्षेत्र	371,467	370,900	350,678	350,421	5.9	5.8
पूर्वी क्षेत्र	182,791	180,888	164,054	162,973	11.4	11
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	18,758	18,680	18,079	18,033	3.8	3.6
अखिल भारत	1,511,847	1,504,264	1,379,812	1,374,024	9.6	9.5

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3510
जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

विद्युत बाजार का विकास

3510. श्री गौतम गंभीर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युत बाजार के विकास हेतु लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए किसी रूपरेखा अथवा कार्यनीति पर कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हां, सरकार ने जुलाई, 2022 में "भारत में विद्युत बाजार के विकास" के लिए एक समूह का गठन किया। समूह के विचारार्थ विषय अनुबंध पर संलग्न हैं।

समूह ने प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने के लिए व्यापक समाधान प्रस्तावित किए हैं और भारत में विद्युत बाजार में परिवर्तन के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों के चरणबद्ध कार्यान्वयन की सिफारिश की है।

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3510 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

"भारत में विद्युत बाजार का विकास" संबंधी समूह के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- i. विद्युत क्रय करारों के अंतर्गत विद्युत बिक्री तथा खरीद की वर्तमान प्रणाली का अध्ययन करना, जिसमें विद्युत व्यापार तथा लेनदेन के अन्य तरीके शामिल हैं।
- ii. विद्युत बाजारों की प्रणाली का अध्ययन करना जिसमें वैश्विक स्तर पर विद्युत क्रय करारों का प्रयोग शामिल है।
- iii. देश में विद्युत की खरीद तथा बिक्री की संरचना एवं प्रणाली को बदलने हेतु सिफारिशें करना, जिसमें विद्युत बाजारों में निवेश, दक्षता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्युत क्रय करारों की प्रणाली में आवश्यक सुधार करना शामिल हैं।
- iv. मौजूदा दीर्घकालिक पीपीएज़ को बाजार तंत्र में परिवर्तित करने की व्यवहार्यता की जांच करना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3512
जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

डिस्कॉम की सहायता हेतु संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

3512. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिज़ाची थंगापंडियन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पांच वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिस्कॉम को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को अनुमोदित किया है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और देश में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या आरईसी और पीएफसी को इस योजना के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) को चलनिधि निवेश योजना (आत्मनिर्भर भारत अभियान) के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और
- (ङ) आरईसी लिमिटेड द्वारा टीएएनजीईडीसीओ को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और सरकार द्वारा तमिलनाडु में टीएएनजीईडीसीओ तथा निजी कंपनियों द्वारा विकसित की जा रही विद्युत संबंधी परियोजनाओं को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- (i) इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित जीबीएस 97,631 करोड़ रुपए है।

- (ii) इस स्कीम का उद्देश्य एटी एंड सी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना है।
- (iii) इस स्कीम की अवधि 5 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) है। स्कीम की समाप्ति तिथि 31.03.2026 होगी।
- (iv) इस स्कीम के दो प्रमुख घटक हैं: भाग 'क'- प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता तथा वितरण अवसंरचना का उन्नयन और भाग 'ख'-प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा अन्य सक्षमीकरण एवं सहायक गतिविधियां।
- (v) स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करने को परिणामों और सुधारों से जोड़ दिया गया है। स्कीम के अंतर्गत निधि जारी करने के लिए उनका मूल्यांकन करने से पहले डिस्कॉमों द्वारा पूर्व-निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक है।
- (vi) आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्यों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

(ग) : इस स्कीम के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में आरईसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को नियुक्त किया गया है और इन्हें पूरे देश में स्कीम के कार्यान्वयन को सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

नोडल एजेंसियों के बीच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आबंटन के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(घ) : पीएफसी तथा आरईसी द्वारा टैनजेडको को लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (आत्मनिर्भर भारत अभियान) के अंतर्गत अब तक संस्वीकृत और संवितरित ऋण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

एफआईआई	संस्वीकृत राशि	संवितरित		कुल
		जारी किश्त-1	जारी किश्त-2	
आरईसी	17,830.30	8,699.14	8,358.77	17,057.91
पीएफसी	12,400.00	6001.36	3,736.04	9,737.40
कुल जोड़	30,230.30	14,700.49	12,094.82	26,795.31

(ङ) : आरईसी लिमिटेड द्वारा टैनजेडको को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता और भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत टैनजेडको को संवितरित अनुदान के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3512 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/डिस्कोम	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)	हानि न्यूनीकरण कार्यों की संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)	मीटरिंग कार्यों का संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत जीबीएस हानि न्यूनीकरण कार्य (करोड़ रुपये)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	53.56	462.01	12.25	415.81
2	आंध्र प्रदेश	4,127.85	9,276.66	815.40	5,566.00
3	अरुणाचल प्रदेश	183.56	799.99	54.40	719.99
4	असम	4,049.54	2,609.10	1,051.65	2,348.19
5	बिहार	2,021.21	7,081.06	412.33	4,248.63
6	छत्तीसगढ़	4,105.31	3,597.55	804.43	2,158.53
7	दिल्ली	13.38	323.63	2.03	194.18
8	गोवा	469.17	247.08	94.51	148.25
9	गुजरात	10,641.96	6,021.48	1,884.60	3,612.89
10	हरियाणा	4,966.62	3,158.43	909.36	1,895.06
11	हिमाचल प्रदेश	1,788.49	1,774.90	466.23	1,597.41
12	जम्मू एवं कश्मीर	1,063.62	4,635.57	272.02	4,172.01
13	झारखंड	858.02	3,262.27	190.50	1,957.36
14	केरल	8,231.21	2,346.81	1,413.34	1,408.09
15	लद्दाख	-	697.36		627.62
16	मध्य प्रदेश	8,768.98	9,403.43	1,482.10	5,642.06
17	महाराष्ट्र	15,214.95	14,157.92	2,839.61	8,494.75
18	मणिपुर	121.16	400.98	38.14	360.88
19	मेघालय	309.56	796.49	86.35	716.84
20	मिजोरम	181.61	237.33	61.08	213.59
21	नागालैंड	207.57	391.18	59.66	352.06
22	पुदुचेरी	251.10	84.39	56.25	50.63
23	पंजाब	5,768.50	3,873.37	959.80	2,324.02
24	राजस्थान	9,714.80	9,371.41	1,685.96	5,622.85
25	सिक्किम	97.45	263.61	30.43	237.25
26	तमिलनाडु	19,235.36	9,066.27	3,398.45	5,439.76
27	त्रिपुरा	318.55	484.56	80.42	436.10
28	उत्तर प्रदेश	18,956.29	17,089.62	3,500.57	10,253.77
29	उत्तराखंड	1,050.92	1,447.39	297.47	1,302.65
30	पश्चिम बंगाल	12,670.45	7,222.57	2,089.18	4,333.54
	कुल योग	1,35,440.72	1,20,584.40	25,048.55	76,850.78

जीबीएस: सरकारी बजटीय सहायता

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3512 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

नोडल एजेंसियों के बीच राज्यों का आवंटन

पीएफसी को आवंटित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

1. महाराष्ट्र
2. गुजरात
3. आंध्र प्रदेश
4. तेलंगाना
5. केरल
6. मध्य प्रदेश
7. उत्तराखंड
8. ओडिशा
9. झारखंड
10. पंजाब
11. हरियाणा
12. हिमाचल प्रदेश
13. चंडीगढ़
14. दिल्ली
15. पुदुचेरी
16. लक्षद्वीप

आरईसी को आवंटित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

1. असम
2. मेघालय
3. अरुणाचल प्रदेश
4. छत्तीसगढ़
5. जम्मू एवं कश्मीर
6. लद्दाख
7. गोवा
8. तमिलनाडु
9. कर्नाटक
10. बिहार
11. राजस्थान
12. उत्तर प्रदेश
13. पश्चिम बंगाल
14. अंडमान निकोबार
15. सिक्किम
16. मिजोरम
17. मणिपुर
18. नागालैंड
19. त्रिपुरा

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3512 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(i). आरईसी द्वारा टैनजेडको को संस्वीकृत वित्तीय सहायता (ऋण) (दिनांक 23.09.2008 से दिनांक 30.06.2023 तक) इस प्रकार है:

श्रेणियाँ	संस्वीकृति (करोड़ रुपए)	जारी की गई (करोड़ रुपये)	बकाया (करोड़ रुपये)
वितरण परियोजनाएं	9,112.07	6,095.61	4,664.12
उत्पादन परियोजनाएं	24,068.56	21,779.18	15,767.16
बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं > 25 मेगावाट	1,450.00	1,142.64	1,128.31
बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के अलावा	324.66	201.68	199.75
परिक्रमी बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ)	6000.00	4,950.57	4,950.57
विशेष दीर्घकालिक ट्रांजिशनल ऋण (एसएलटीटीएल)	17830.30	17,059.52	17,057.91
कुल	58,785.59	51,229.19	43,767.82

(ii) टैनजेडको को वित्तीय सहायता (भारत सरकार से अनुदान):

(क) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत:

स्कीमें	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये)	जारी किया गया जीबीएस (करोड़ रुपये)
डीडीयूजीजेवाई	1,344	919	885
आईपीडीएस	1,745	1,051	1,044

(ख) आरडीएसएस:

	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये)	स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब तक जारी किया गया जीबीएस (करोड़ रुपये)
हानि न्यूनीकरण कार्य	9,066	5,440	267.97
स्मार्ट मीटरिंग कार्य	19,235	3,398	0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3528

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

ग्रामीण विद्युतीकरण

3528. श्री दुष्यंत सिंह:

श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजस्थान के प्रत्येक जिले में तथा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर, हरदोई और कानपुर नगर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किए जा रहे गांवों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) राजस्थान में विशेषकर झालावाड़ और बारां जिलों में समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत किए जा रहे कार्य की स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने पूरे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसम्बर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) प्रारंभ की। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, पूरे देश में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक जनगणना 2011 के अनुसार सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांव विद्युतीकृत हो गए। राजस्थान राज्य में 425 गांवों तथा उत्तर प्रदेश के मिसरिख निर्वाचन क्षेत्र में 1 गांव सहित देश भर में इस स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, यह स्कीम बंद हो गई है। राजस्थान राज्य और उत्तर प्रदेश के मिसरिख निर्वाचन क्षेत्र में गांवों के विद्युतीकरण के जिले-वार ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-I(क) और अनुबंध-I(ख) पर दिए गए हैं।

(ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 को डिस्कॉमों/विद्युत विभागों के संसाधनों के सहयोग के लिए, शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण और वितरण नेटवर्क तथा मीटरिंग में अंतर को दूर करने हेतु पूंजीगत व्यय के निमित्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) शुरू की थी। आईपीडीएस के अंतर्गत बारां और झालावाड़ सर्किल में कार्यों को समापन समय सीमा के भीतर यूटिलिटी द्वारा पूर्ण और बंद घोषित कर दिया गया था। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, यह स्कीम बंद हो गई है। जयपुर डिस्कॉम के बारां और झालावाड़ सर्किल में आईपीडीएस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध-II में दी गई है।

अनुबंध-1(क)

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3528 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राजस्थान राज्य में गर्व के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से दिनांक 28.04.2018 तक डीडीयूजीजेवाई के दौरान आवासित जनगणना गांवों के जिले-वार विद्युतीकरण के ब्यौरे

क्रम सं.	जिला	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	गंगानगर	4
2	हनुमानगढ़	5
3	बीकानेर	21
4	चुरू	3
5	अलवर	8
6	भरतपुर	3
7	धौलपुर	9
8	करोली	8
9	सवाई माधोपुर	3
10	दौसा	1
11	सीकर	1
12	नागौर	1
13	जोधपुर	43
14	जैसलमेर	113
15	बाड़मेर	34
16	सिरोही	1
17	पाली	11
18	बूंदी	1
19	भीलवाड़ा	2
20	इंगरपुर	6
21	बांसवाड़ा	2
22	चित्तौड़गढ़	3
23	बारां	27
24	झालावाड़	1
25	उदयपुर	94
26	प्रतापगढ़	20
	कुल	425

अनुबंध-I(ख)

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3528 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उत्तर प्रदेश राज्य के मिसरिख निर्वाचन क्षेत्र में गर्व के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से 28.04.2018 तक डीडीयूजीजेवाई के दौरान आवासित जनगणना गांवों के जिले-वार विद्युतीकरण के ब्यौरे

क्रम सं.	जिला	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	सीतापुर	1
2	हरदोई	0
3	कानपुर नगर	0

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3528 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य	डिस्कॉम	सर्किल का नाम	डिस्कॉम द्वारा वास्तविक रूप से पूर्णता की तिथि
राजस्थान	जेएवीवीएनएल	बारां	28.02.2019
		झालावाड़	29.01.2019

बारां और झालावाड़ सर्किल के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत सृजित प्रमुख अवसंरचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	लक्ष्य का नाम	यूनिट	बारां	झालावाड़
			आरंभ की गई मात्रा	
1	नया सब स्टेशन	सं.	2	-
2	33/11 केवी अतिरिक्त ट्रांसफार्मर	सं.	-	4
3	नये वितरण ट्रांसफार्मर	सं.	51	46
4	वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि	सं.	19	18
5	नई एचटी लाइनें	सीकेएम	7	-
6	एरियल बंडल केबल्स	सीकेएम	28	-
7	यूजी केबल	सीकेएम	12	17

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3572

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

सभी ग्रामीण और शहरी घरों में विद्युतीकरण

3572. श्री जनार्दन सिंह सीग्गीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार सभी ग्रामीण और शहरी घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करने और अंतिम घर तक बिजली पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य के अंतर्गत कुल कितने घरों का विद्युतीकरण किया गया है और उक्त योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रणालियों के संस्थापन के माध्यम से बिहार सहित राज्य-वार कुल कितने प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण किया गया है;
- (घ) सौर ऊर्जा प्रणालियों के संस्थापन के माध्यम से सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और
- (ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सौभाग्य के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित, संवितरित और उपयोग की गई?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की। सौभाग्य के तत्वावधान में, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। इसके बाद, सात राज्यों नामतः असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर हैं, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसकी भी

संस्वीकृति दी गई थी। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

इसके बाद, कुछ राज्यों ने सूचित किया था कि कुछ घरों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है, जिसके निमित्त, राज्यों ने सूचित किया कि 4.43 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तदनुसार, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो चुकी है।

नए घरों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे घरों के विद्युतीकरण का ध्यान वितरण यूटिलिटीयों द्वारा रखा जाना अपेक्षित है। तथापि, सौभाग्य की स्वीकृति के समय मौजूद सभी घरों का विद्युतीकरण किया जाना है; और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कहा गया है कि यदि ऐसे कोई घर छूट गए हैं, तो उनका विद्युतीकरण संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत किया जाए।

(ग) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य के अंतर्गत कुल 2.86 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया है। इसमें से, 1.644% घरों को सौर ऊर्जा प्रणाली की संस्थापना के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विद्युतीकृत अतिरिक्त घरों सहित समापन के अनुसार सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों की प्रतिशतता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(घ) : सौर ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना करते हुए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत अतिरिक्त घरों सहित समापन के अनुसार सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

(ङ) : सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिला के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां, पिछली किशतों में जारी निधियों के कथित उपयोग और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर, किशतों में जारी की गई थीं। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान सौभाग्य के अंतर्गत आवंटित/संवितरित और उपयोग की गई निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मात्रा **अनुबंध-IV** में दी गई है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3572 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अनुमत अतिरिक्त संस्वीकृति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत और अतिरिक्त घर		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक सूचित किए गए विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) (ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930	0	181,930			181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	1,745,149	200,000	1,945,149	480249	381507	2,326,656
4	बिहार	3,259,041	0	3,259,041			3,259,041
5	छत्तीसगढ़	749,397	40,394	789,791	21981	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045	0	377,045			377,045
10	झारखंड	1,530,708	200,000	1,730,708			1,730,708
11	कर्नाटक	356,974	26,824	383,798			383,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264	0	1,984,264	99722	0	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922	0	1,517,922			1,517,922
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	21135	0	108,115
16	मेघालय	199,839	0	199,839	420	401	200,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	132,507	0	132,507	7009	7009	139,516
19	ओडिशा	2,452,444	0	2,452,444			2,452,444
20	पुदुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	1,862,736	212,786	2,075,522	210843	52206	2,127,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	515,084	0	515,084			515,084
26	त्रिपुरा	139,090	0	139,090			139,090
27	उत्तर प्रदेश	7,980,568	1,200,003	9,180,571	334652	0	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751	0	248,751			248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	0	732,290			732,290
कुल		26,284,350	1,885,374	28,169,724	1,183,870	443,700	28,613,424

*सौभाग्य से पूर्व विद्युतीकृत और सौभाग्य के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3572 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

समापन के अनुसार सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों और ऑफ ग्रिड मोड के माध्यम से डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत अतिरिक्त घरों की प्रतिशतता

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विद्युतीकृत घर
1	अरुणाचल प्रदेश	11.463 %
2	असम	4.483 %
3	बिहार	1.20 %
4	छत्तीसगढ़	8.250 %
5	गुजरात	0.00 %
6	हरियाणा	0.00 %
7	हिमाचल प्रदेश	0.00 %
8	जम्मू एवं कश्मीर	0.00 %
9	झारखंड	0.447 %
10	कर्नाटक	0.054 %
11	लद्दाख	1.607 %
12	मध्य प्रदेश	0.638 %
13	महाराष्ट्र	2.012 %
14	मणिपुर	3.133 %
15	मेघालय	0.499 %
16	मिजोरम	5.241 %
17	नागालैंड	0.00 %
18	ओडिशा	0.560 %
19	पंजाब	0.00 %
20	राजस्थान	5.813 %
21	सिक्किम	0.00 %
22	तेलंगाना	0.00 %
23	त्रिपुरा	2.589 %
24	उत्तर प्रदेश	0.580 %
25	उत्तराखंड	1.945 %
26	पश्चिम बंगाल	0.00 %
	कुल	1.644 %

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3572 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ऑफ-ग्रिड मोड के माध्यम से सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों और डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत अतिरिक्त घरों के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत ऑफ ग्रिड घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत अतिरिक्त ऑफ ग्रिड घर (ख)	कुल (क+ख)
1	अरुणाचल प्रदेश	5398		5398
2	असम	50754	53545	104299
3	बिहार	39100		39100
4	छत्तीसगढ़	65373		65373
5	झारखंड	7740		7740
6	कर्नाटक	207		207
7	मध्य प्रदेश	12651		12651
8	महाराष्ट्र	30538		30538
9	मणिपुर	3387		3387
10	मेघालय	598	401	999
11	मिजोरम	1466		1466
12	ओडिशा	13735		13735
13	राजस्थान	123682		123682
14	त्रिपुरा	3601		3601
15	उत्तराखंड	4837		4837
16	उत्तर प्रदेश	53234		53234
17	लद्दाख	168		168
कुल		416469	53946	470415

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारंकित प्रश्न संख्या 3572 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत संवितरित और उपयोग किया गया राज्य-वार अनुदान:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	संवितरित किया गया अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान
1	अरुणाचल प्रदेश	14	0.00	7.14	20.93	20.93
2	असम	121	118.45	20.51	259.88	259.88
3	बिहार	136	17.10	23.85	177.20	177.20
4	छत्तीसगढ़	32	42.06	42.84	116.91	116.91
5	हरियाणा	3	0.00	5.48	8.46	8.46
6	हिमाचल प्रदेश	3	0.00	0.00	2.89	2.89
7	जम्मू एवं कश्मीर	0	0.00	0.00	0.00	-
8	झारखंड	4	59.85	67.73	131.89	131.89
9	कर्नाटक	39	0.00	8.65	48.03	48.03
10	केरल	26	13.27	11.75	51.14	51.14
11	लद्दाख		0.00	0.00	0.00	-
12	मध्य प्रदेश	0	6.32	139.86	146.18	146.18
13	महाराष्ट्र	43	0.00	19.88	63.25	63.25
14	मणिपुर	33	12.13	4.84	50.01	50.01
15	मेघालय	88	1.37	18.93	108.09	90.09
16	मिजोरम	0	6.03	0.55	6.59	6.59
17	नागालैंड	0	0.00	14.95	14.95	14.95
18	ओडिशा	0	0.00	77.92	77.92	77.92
19	पंजाब	0	0.36	0.35	0.71	0.71
20	राजस्थान	76	100.97	24.22	201.59	201.59
21	सिक्किम	1	1.15	0.22	1.90	1.90
22	तेलंगाना	15	0.00	1.39	16.77	16.77
23	त्रिपुरा	8	0.27	21.66	30.04	30.04
24	उत्तर प्रदेश	26	52.31	349.93	427.99	427.99
25	उत्तराखंड	7	0.54	6.42	13.79	13.79
26	पश्चिम बंगाल	20	15.92	46.10	82.29	82.29
	कुल	696	448.09	915.16	2059.38	2,041.38

नोट: दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार सौभाग्य बंद हो गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3584
जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केन्द्र

3584. श्री संजय काका पाटील:
श्री कुरूवा गोरांतला माधव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में स्थापित किए गए सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग केन्द्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने पर्यावरण पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने देश में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग अवसंरचना के परिनियोजन में तेजी लाने के लिए अनेक पहलें की हैं। इन पहलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- 1) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना से संबंधित स्पष्टीकरण जारी करना: विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 13.04.2018 को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के संदर्भ में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना से संबंधित स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के माध्यम से ईवी बैटरियों की चार्जिंग के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है।

2) **ईवी चार्जिंग अवसंरचना के लिए दिशानिर्देश तथा मानक तैयार करना:** विद्युत मंत्रालय ने निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं के साथ सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना के लिए दिशानिर्देश तथा मानक जारी किए:

- i. सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटरों/स्वामियों तथा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रयोगकर्ताओं से प्रभार योग्य वहनीय टैरिफ प्रदान करने के उद्देश्य से, ईवी चार्जिंग अवसंरचना के सृजन को समर्थन।
- ii. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहक दरों पर भूमि के प्रावधान हेतु राजस्व हिस्सेदारी मॉडल की शुरुआत।
- iii. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल भाग ईवी टैरिफ निर्धारित करना। डिस्कॉमों द्वारा सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन को आपूर्ति की लागत सौर अवधि के दौरान 0.8 गुणा एसीओएस और गैर-सौर अवधि के दौरान 1.2 गुणा एसीओएस होगी।
- iv. सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटरों द्वारा पीसीएस की स्थापना में उनके द्वारा किए गए पूंजीगत निवेश (जीएसटी को छोड़कर) की लागत की वसूली के लिए ईवी ग्राहकों पर लगाए जा रहे सेवा प्रभारों से संबंधित अधिकतम सीमाएं निर्दिष्ट करना। इस संशोधन में सौर तथा गैर-सौर अवधियों के दौरान पीसीएस पर ईवीज की धीमी एसी चार्जिंग के लिए प्रयोग की गई विद्युत की क्रमशः 2.50 रुपये प्रति यूनिट और 3.50 रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट की गई है। इसके साथ-साथ, डीसी फास्ट चार्जिंग के लिए भी सौर तथा गैर-सौर अवधियों के दौरान विद्युत की क्रमशः 10 रुपये प्रति यूनिट तथा 12 रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट की गई है।

(ख) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध प्रचालनात्मक सार्वजनिक ईवी चार्ज प्वाइंट्स के लिए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31 जुलाई, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में कुल 17,236 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट्स प्रचालनरत हैं। राज्य-वार प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट्स के ब्यौरे **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

(ग) : जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और वाहन संबंधी उत्सर्जनों के मुद्दों पर ध्यान देने के उद्देश्य से, देश में इलेक्ट्रिक और बैटरी पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के विनिर्माण और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने वर्ष 2015 में अखिल भारतीय आधार पर फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) स्कीम का शुभारंभ किया है। वर्तमान में, कुल 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता से फेम इंडिया स्कीम का चरण-II दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। यह चरण सार्वजनिक एवं साझा परिवहन के विद्युतीकरण को समर्थन देने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलरों, 55000 ई-4 व्हीलर यात्री कारों तथा 10 लाख ई-2 व्हीलर वाहनों पर, सब्सिडी के माध्यम से सहायता करना है। इसके साथ-साथ, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोगकर्ताओं के लिए चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण को भी सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- i. सरकार ने देश में बैटरी के मूल्य को कम करने के लिए दिनांक 12 मई, 2021 को देश में उन्नत केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम अनुमोदित की है। बैटरी के मूल्य में कमी के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी।

- ii. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) ऑटोमोबाइल तथा ऑटो संघटकों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, जिसका 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ दिनांक 15 सितंबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन किया गया था।
- iii. ईवीज़ पर जीएसटी को 12% से कम करके 5% कर दिया गया है; ईवीज़ के लिए चार्जर्स/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से कम करके 5% कर दिया गया है।
- iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने घोषणा की कि बैटरी चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट की आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।
- v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने राज्यों को ईवीज़ पर रोड टैक्स पर छूट देने की सलाह देते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसके फलस्वरूप ईवीज़ आरंभिक लागत कम करने में सहायता मिलेगी।

(घ) : भारत ने वर्ष 2022 में यूएनएफसीसीसी को अपनी दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन विकास कार्यनीति (एलटी एलईडीएस) प्रस्तुत की। इस नीतिगत दस्तावेज़ में सात कार्यनीति निम्न-उत्सर्जन विकास परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है। इनमें से एक एकीकृत, दक्ष, समावेशी निम्न-कार्बन परिवहन प्रणाली विकसित करना है। इसमें कार्यक्रमों, नीतियों और इलेक्ट्रिक वाहनों तथा बैटरियों के घरेलू विनिर्माण के लिए उपायों के व्यापक पैकेज सहित, बहुविध तरीकों से विद्युतीकरण का सुझाव दिया गया है। इस दस्तावेज़ को लिंक [http://unfccc.int/sites/default/files/resource/India LTLEDS.pdf](http://unfccc.int/sites/default/files/resource/India_LTLEDS.pdf) के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने, ईवी बैटरियों सहित, अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन के लिए दिनांक 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 प्रकाशित किए। इन नियमों में बैटरियों के उत्पादकों के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अपशिष्ट बैटरियों को रि-साइकिल/नवीकृत करने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया गया है। इन नियमों में रि-साइकिलकर्ताओं को अपशिष्ट बैटरियों से न्यूनतम प्रतिशत में सामग्रियों पुनर्प्राप्त करने हेतु अधिदेशित किया गया है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3584 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट और प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन (दिनांक 31 जुलाई, 2023 तक स्थिति के अनुसार) के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रचालनरत पीसीएस की संख्या	सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्वाइंटों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	5
2.	आंध्र प्रदेश	307	355
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	16
4.	असम	52	91
5.	बिहार	106	183
6.	चंडीगढ़	9	17
7.	छत्तीसगढ़	110	156
8.	दिल्ली	1627	3247
9.	गोवा	55	90
10.	गुजरात	303	601
11.	हरियाणा	279	625
12.	हिमाचल प्रदेश	37	53
13.	जम्मू एवं कश्मीर	32	63
14.	झारखंड	114	192
15.	कर्नाटक	753	1680
16.	केरल	187	448
17.	लक्षद्वीप	1	2
18.	मध्य प्रदेश	267	438
19.	महाराष्ट्र	2494	4211
20.	मणिपुर	17	32
21.	मेघालय	19	80
22.	नागालैंड	7	10
23.	ओडिशा	153	287
24.	पुदुचेरी	4	8
25.	पंजाब	121	247
26.	राजस्थान	373	629
27.	सिक्किम	2	4
28.	तमिलनाडु	459	1320
29.	तेलंगाना	412	675
30.	त्रिपुरा	18	33
31.	उत्तर प्रदेश	469	852
32.	उत्तराखंड	50	108
33.	पश्चिम बंगाल	264	478
	कुल	9113	17,236

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3591

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटर

3591. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को बड़े पैमाने पर अपनाना सुनिश्चित करने हेतु 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) आरंभ की है;
- (ख) यदि हां, तो क्या केरल ने अभी तक राज्य में स्मार्ट मीटर का कार्यान्वयन पूरा नहीं किया है;
- (ग) क्या सरकार इस रिपोर्ट से अवगत है कि ऐसे स्मार्ट मीटरों को हर पांच से आठ वर्षों के बाद बदले जाने की संभावना है और इनसे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा; और
- (घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में खर्च वहन करने के लिए उपभोक्ताओं को राजसहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर तथा प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) का शुभारंभ किया है। इस स्कीम का उद्देश्य एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है जिसमें भारत सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता 97,631 करोड़ रुपये की है। स्कीम में मौजूदा अवसंरचना के एकीकरण सहित उपभोक्ता, वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) तथा फीडर स्तर पर 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग समाधान की संस्थापना की परिकल्पना की गई है। अभी तक, आरडीएसएस के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/डिस्कॉमों को 21 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

केरल राज्य/डिस्कॉम के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

मद	संख्या
स्मार्ट उपभोक्ता मीटर	13,289,361
संप्रेषणयोग्य डीटी मीटर	87,615
संप्रेषणयोग्य फीडर मीटर	6,025

डिस्कॉम निविदाकरण और स्वीकृत कार्यों को अवार्ड करने की प्रक्रिया में है और केरल राज्य में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना अभी शुरू की जानी है।

स्मार्ट मीटरिंग समाधान में द्वि-मार्गीय संप्रेषण के हिस्से के रूप में एकत्र किए गए आंकड़ों से यूटिलिटीयों को अपने भार पुर्वानुमान में सुधार करने में सहायता मिलती है, जो उनके द्वारा विद्युत की खरीद को बेहतर बनाने में सहायक होगा जिससे विद्युत आपूर्ति की लागत कम होगी। इस विशेषता का सीधा प्रभाव डिस्कॉम के एसीएस-एआरआर अंतर तथा एटीएंडसी हानियों को कम करने पर पड़ेगा जिससे अंततः अंतिम उपभोक्ता लाभान्वित होगा। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट मीटर उपभोक्ता प्रोफाइल, उपभोग पैटर्न को ग्रहण करता है और उपभोक्ताओं को वास्तविक-समय संबंधी सूचना प्रदान करता है ताकि वे अपने विद्युत के उपयोग की योजना बना सकें।

(ग) और (घ) : स्मार्ट मीटरों को प्रत्येक पांच से आठ वर्ष में बदलने के संबंध में, ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। तथापि, आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरों को टोटेक्स मोड पर पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के माध्यम से रॉलआउट करने की परिकल्पना की गई है जिससे यह घटक स्व-वित्तपोषित हो जाता है और डिस्कॉम को इसके लिए पूंजीगत व्यय हेतु कोई अग्रिम भुगतान नहीं करना होगा। एएमआईएसपी (उन्नत मीटरिंग अवसंरचना सेवा प्रदाता) संस्थापना के बाद मीटरिंग अवसंरचना की आपूर्ति करने, रख-रखाव करने तथा प्रचालन करने हेतु उत्तरदायी होगा। यह दृष्टिकोण परियोजना के संपूर्ण कार्यकाल चक्र (7-10 वर्ष) के दौरान सेवाएं प्रदान करने के लिए एएमआईएसपी के आरंभ-से-अंत-तक के लिए उत्तरदायी है। टोटेक्स मोड के अंतर्गत, यह संभावना है कि डिस्कॉम, प्रीपेड मीटरिंग के कारण बिलिंग तथा संग्रहण में सुधार के परिणामस्वरूप, संवर्धित राजस्व के साथ प्रति माह लागत का वित्तपोषण कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस के अंतर्गत, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:

- I. 'विशेष श्रेणी के अलावा अन्य' राज्यों के लिए 900 रुपये अथवा प्रति उपभोक्ता मीटर की लागत के 15% (जो भी कम हो) का अनुदान और 'विशेष श्रेणी' राज्यों के लिए 1350 रुपये अथवा प्रति उपभोक्ता मीटर की लागत के 22.5% (जो भी कम हो) का अनुदान।
- II. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिसंबर, 2023 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की फास्ट-ट्रैक संस्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 'विशेष श्रेणी के अलावा अन्य राज्यों' के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर की लागत के 7.5% अथवा 450 रुपये (जो भी कम हो) और 'विशेष श्रेणी' राज्यों के लिए 11.25% अथवा 675 रुपये प्रति उपभोक्ता मीटर (जो भी कम हो) का अतिरिक्त प्रोत्साहन।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3609

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

उजाला योजना के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

3609. श्री अरविंद सावंत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उजाला योजना आरंभ करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) क्या इस योजना के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की तैनाती की गई थी;
- (ग) यदि हां, तो ईईएसएल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं/उत्पादों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) ईईएसएल द्वारा राज्यों और उनके स्थानीय निकायों को प्रदान की गई सेवाओं/उत्पादों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) ईईएसएल द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं/उत्पादों की लागत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (च) विभिन्न राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा ईईएसएल को भुगतान किए जाने के लिए बिलों/चालानों की कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
- (छ) क्या सरकार ने इस कंपनी को वित्तीय अनुदान प्रदान करके कुछ राहत प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : उन्नत ज्योति बॉय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल (उजाला) स्कीम का उद्देश्य घरेलू प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए इन्कैंडेसेंट लैंप्स (आईसीएल)/सीएफएल लैंप्स के स्थान पर ऊर्जा दक्ष एलईडी लैंप्स को अपनाने में वृद्धि करना है। चूंकि एलईडी लैंप्स की कीमत आईसीएल/सीएफएल लैंप्स की तुलना में बहुत अधिक थी, उजाला स्कीम का मुख्य उद्देश्य मांग एकत्रीकरण और थोक खरीद के माध्यम से एलईडी बल्बों की कीमत को कम करना था।

स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश की विद्युत ऊर्जा खपत तथा व्यस्ततम मांग को कम करना, मौद्रिक बचतों और ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन में कमी करना था।

(ख) और (ग) : विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), को देश में एलईडी लैंप्स को अपनाने का कार्य सौंपा गया था और यह वर्ष 2014 से एलईडी बल्ब वितरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही थी। उजाला स्कीम के जनवरी, 2015 में शुभारंभ के बाद, इसके अंतर्गत ईईएसएल ने एलईडी बल्बों/ट्यूबों के वितरण के माध्यम से घरेलू प्रकाश बाजार के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है।

उजाला स्कीम के अंतर्गत, पारंपरिक और अप्रभावी वेरिंटों के प्रतिस्थापन के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा दक्ष पंखे प्रदान किए जा रहे हैं। आज तक की तिथि के अनुसार, ईईएसएल ने स्कीम के अंतर्गत 36.86 करोड़ एलईडी बल्बों, 72.18 लाख एलईडी ट्यूब-लाइटों और 23.59 लाख ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित किए हैं।

(घ) : उजाला स्कीम के अंतर्गत एलईडी बल्बों, एलईडी ट्यूब लाइटों और ऊर्जा दक्ष पंखों के वितरण के राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधान मंत्री जी ने, दिनांक 5 जनवरी, 2015 को देश भर के स्थानीय निकायों में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट तथा ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) की शुरुआत की है।

अब तक, ईईएसएल ने पूरे भारत में शहरी निकायों तथा ग्राम पंचायतों में 1.29 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की हैं। एसएलएनपी के अंतर्गत राज्यवार संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ङ) : उजाला स्कीम के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादों की लागत के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	उपकरण	यूनिट दर
1	एलईडी बल्ब	आरंभिक रूप से 100 रु कम होकर 65 रु हो गया है।
2	एलईडी ट्यूबलाइट	220 रु
3	ऊर्जा दक्ष पंखे	1110 रु

तथापि, एसएलएनपी कार्यक्रम ऊर्जा सेवा (ईएससीओ) मोड के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है और दिनांक 30 जून, 2023 तक एसएलएनपी कार्यक्रम के लिए राज्य-वार बिल की गई राशि **अनुबंध-III** में दी गई है।

(च) : एसएलएनपी के संबंध में, राज्य-वार बिल किए गए और लंबित भुगतान **अनुबंध-III** में दिए गए हैं। उजाला स्कीम के अंतर्गत, राज्यों के विभिन्न डिस्कॉमों से अतिदेय भुगतान लंबित हैं, और इसके राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

(छ) : जी नहीं। तथापि, विद्युत मंत्रालय द्वारा ईईएसएल की देय राशियों के लंबित भुगतान के लिए राज्य सरकारों और आवास और शहरी मामला मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया गया है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3609 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उजाला स्कीम के अंतर्गत एलईडी बल्बों, एलईडी ट्यूब लाइटों और ऊर्जा दक्ष पंखों के वितरण के राज्य-वार ब्यौरे:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एलईडी बल्ब	एलईडी ट्यूब लाइट	ईई पंखे
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,00,000		
आंध्र प्रदेश	2,20,40,220	1,49,893	3,24,783
अरुणाचल प्रदेश	4,99,498	42,713	32,508
असम	71,85,428	1,52,491	43,005
बिहार	1,96,08,609	1,13,598	43,556
चंडीगढ़	5,54,283	57,342	15,454
छत्तीसगढ़	1,08,22,335	2,82,360	65,097
दादरा एवं नगर हवेली	1,63,808	4,884	1,886
दमन और दीव	1,42,623	547	19
दिल्ली	1,34,19,641	2,55,385	18,060
गोवा	10,05,890	-	-
गुजरात	4,14,48,713	12,76,256	6,54,260
हरियाणा	1,56,08,119	2,13,302	60,709
हिमाचल प्रदेश	86,48,483	94,949	22,374
जम्मू एवं कश्मीर	87,17,209	14,363	7,283
झारखंड	1,36,45,874	1,68,019	31,621
कर्नाटक	2,42,64,486	4,12,846	72,197
केरल	1,54,29,919	19,650	9,100
लक्षद्वीप	2,00,000	50,000	-
मध्य प्रदेश	1,75,74,110	4,25,026	1,08,133
महाराष्ट्र	2,19,86,569	5,31,133	1,86,211
मणिपुर	2,99,934	20,593	-
मेघालय	4,33,789	4,495	-
मिजोरम	6,15,332	36,125	1,579
नागालैंड	10,99,038	25,833	7,499
ओडिशा	5,22,70,570	1,70,868	37,770
पुदुचेरी	6,09,251	-	-
पंजाब	30,16,739	99,766	18,328
राजस्थान	1,73,21,034	3,49,684	94,165
सिक्किम	1,64,000	7,819	-
तमिलनाडु	43,63,183	6,20,181	1,74,193
तेलंगाना	28,75,082	3,13,793	48,310
त्रिपुरा	10,54,437	84,213	15,334
उत्तर प्रदेश	2,62,95,635	5,11,973	2,03,427
उत्तराखंड	56,73,850	39,114	5,815
पश्चिम बंगाल	92,29,228	6,69,711	56,558
कुल	36,86,86,919	72,18,925	23,59,234

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3609 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एसएलएनपी के अंतर्गत संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों के राज्यवार आंकड़े

राज्य	कुल
आंध्र प्रदेश	29,47,706
तेलंगाना	16,55,460
तमिलनाडु	7,876
पोर्ट ब्लेयर	14,995
महाराष्ट्र	11,03,306
केरल	4,33,979
कर्नाटक	13,226
गोवा	2,07,183
लक्षद्वीप	1,000
पश्चिम बंगाल	93,532
झारखंड	5,34,356
बिहार	5,73,022
राजस्थान	10,72,033
गुजरात	9,03,519
उत्तर प्रदेश	12,90,949
उत्तराखंड	1,30,338
छत्तीसगढ़	3,81,199
ओडिशा	3,53,808
मध्य प्रदेश	2,90,951
दिल्ली	3,80,377
जम्मू एवं कश्मीर	1,74,597
हिमाचल प्रदेश	62,982
पंजाब	1,27,267
चंडीगढ़	46,496
हरियाणा	85,139
सिक्किम	1,073
त्रिपुरा	76,426
असम	28,875
पुदुचेरी	1,520
कुल	1,29,93,190

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3609 के भाग (ड) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एसएलएनपी के अंतर्गत शहरी निकायों (यूएलबीज) से राज्य-वार बिल किए गए और लंबित भुगतान निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल बिल की गई राशि	कुल संग्रह	कुल बकाया (दिनांक 30.06.2023 की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	1357.91	551.71	806.20
राजस्थान	1033.70	434.71	598.99
उत्तर प्रदेश	852.55	502.16	350.39
महाराष्ट्र	462.32	187.57	274.75
तेलंगाना	753.20	584.40	168.80
बिहार	269.71	127.15	142.56
गुजरात	358.65	224.41	134.25
झारखंड	225.83	104.41	121.42
दिल्ली	498.13	412.59	85.55
छत्तीसगढ़	179.62	135.09	44.53
मध्य प्रदेश	93.80	55.19	38.62
ओडिशा	281.27	255.90	25.37
पंजाब	43.53	20.13	23.39
जम्मू एवं कश्मीर	69.25	46.04	23.20
पश्चिम बंगाल	35.70	14.22	21.47
गोवा	149.08	127.64	21.44
हरियाणा	55.16	35.70	19.46
चंडीगढ़	33.41	20.19	13.22
त्रिपुरा	58.91	49.36	9.54
अंडमान और निकोबार	16.50	7.18	9.32
हिमाचल प्रदेश	54.82	46.79	8.03
केरल	68.52	61.43	7.09
उत्तराखंड	45.50	38.44	7.07
असम	7.17	0.56	6.61
दादरा एवं नगर हवेली	0.24	0.24	0.00
कुल	7004.5	4043.2	2961.3

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3609 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उजाला स्कीम के अंतर्गत राज्यों के विभिन्न डिस्कॉमों से राज्य-वार लंबित अतिदेय भुगतान:

राज्य	बकाया राशि (रूपये)
आंध्र प्रदेश	50,89,28,031
असम	1,87,88,709
बिहार	1,79,96,928
छत्तीसगढ़	9,17,65,663
दादरा एवं नगर हवेली	10,01,375
दिल्ली	1,05,47,412
गोवा	33,16,354
गुजरात	62,88,64,857
हिमाचल प्रदेश	16,78,215
जम्मू एवं कश्मीर	9,26,13,230
कर्नाटक	7,11,46,390
महाराष्ट्र	11,77,11,244
मणिपुर	61,02,038
मिजोरम	12,000
ओडिशा	3,52,804
पुदुचेरी	5,41,19,675
राजस्थान	7,27,12,783
उत्तर प्रदेश	1,00,19,887
उत्तराखंड	26,21,692
कुल	1,71,02,99,287

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3636
जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया
विद्युत पारेषण परियोजनाएं

3636. श्री नामा नागेश्वर रावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पूरी हो चुकी विद्युत पारेषण परियोजनाओं (पीटीपी) की संख्या और निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा प्रस्तावित ऐसी नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इंजीनियरी, खरीद और निर्माण (ईपीसी) तथा निर्माण, परिचालन, हस्तांतरण (बीओटी) मॉडलों के अंतर्गत प्रदान की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वर्ष 2014 से 269 अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से 45 परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मोड के अंतर्गत हैं और 224 परियोजनाएं, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) द्वारा निर्मित, विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड के अंतर्गत हैं। ऐसी पूर्ण परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-I तथा अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, 63 आईएसटीएस परियोजनाएं प्रगतिधीन हैं, जिनमें से 32 परियोजनाएं टीबीसीबी मोड के अंतर्गत हैं और पावरग्रिड द्वारा निर्मित की जा रही, 31 परियोजनाएं, आरटीएम मोड में हैं। ऐसी प्रगतिधीन परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-III तथा अनुबंध-IV पर दिए गए हैं।

(ख) : कार्यान्वयन के लिए शुरू की जा रही 28 नई आईएसटीएस परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-V पर दिए गए हैं।

(ग) : आईएसटीएस परियोजनाएं ईपीसी अथवा बीओटी मोड में अवार्ड नहीं की जाती हैं। आईएसटीएस परियोजनाएं या तो न्यूनतम उद्धृत टैरिफ वाले सफल बोलीदाता को टीबीसीबी मोड के माध्यम से अथवा नामांकन आधार पर आरटीएम मोड के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अवार्ड की जाती हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3636 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2014 से टीबीसीबी मोड के अंतर्गत चालू की गई आईएसटीएस परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	पारेषण परियोजना का नाम	मूल कंपनी	शुरू करने का वर्ष और माह
1	परियोजना-ख (महाराष्ट्र) के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली का सुदृढीकरण-II	अडानी टीएल	जनवरी-14
2	कृष्णापट्टनम यूएमपीपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली- एसआर और डब्ल्यूआर के बीच सिंक्रोनस इंटरकनेक्शन (भाग-ख)	आरएसटीसीएल	जून-14
3	एनआर द्वारा एनईआर/ईआर अधिशेष के आयात को सक्षम करने की स्कीम	स्टरलाइट पावर टीएल	नवंबर -14
4	डब्ल्यूआर के लिए प्रणाली सुदृढीकरण	स्टरलाइट पावर टीएल	मई -15
5	डब्ल्यूआर और एनआर के लिए प्रणाली सुदृढीकरण	स्टरलाइट पावर टीएल	सितंबर-15
6	परियोजना-ग (गुजरात) के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण-II	अडानी टीएल	दिसंबर -15
7	पैट्रन 400 केवी एस/एस के लिए पारेषण प्रणाली	टेक्नो इलेक्ट्रिक	जून-16
8	एनटीपीसी लिमिटेड के कुडगी टीपीएस (चरण-I में 3x800 मेगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए अपेक्षित पारेषण प्रणाली	एल एंड टी	सितंबर-16
9	ईआर से विद्युत के आयात के लिए एसआर में सुदृढीकरण के लिए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल	सितंबर-16
10	राजस्थान में आरएपीपी यू-7 एवं 8 के लिए भाग एटीएस	स्टरलाइट पावर टीएल	नवंबर-16
11	ऊंचाहार टीपीएस की एटीएस	पीजीसीआईएल	दिसंबर-16
12	पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-VII	स्टरलाइट पावर टीएल	जनवरी-17
13	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम, एनआरएसएस-XXXI (भाग-ख)	एस्सेल इन्फ्रा	अप्रैल -17
14	एनआर प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-एनआरएसएस-XXXI(भाग-क)	पीजीसीआईएल	जुलाई-17
15	पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-VI	एस्सेल इन्फ्रा	अगस्त-17
16	महेश्वरम 765/400 केवी एस/एस के लिए कनेक्टिविटी लाइनें	स्टरलाइट पावर टीएल	दिसंबर-17
17	एनटीपीसी के गाडरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग-ख)	पीजीसीआईएल	जून-18
18	एनटीपीसी के गाडरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग-क)	पीजीसीआईएल	जुलाई-18
19	उत्तरी क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम, एनआरएसएस-XXIX	स्टरलाइट पावर टीएल	अगस्त-18
20	विंध्याचल से संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण-V	पीजीसीआईएल	दिसंबर-18
21	उड़ीसा में चरण-II विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए सामान्य पारेषण प्रणाली और ओपीजीसी परियोजना (उड़ीसा) के लिए तत्काल विद्युत निकासी प्रणाली	स्टरलाइट पावर टीएल	दिसंबर-18
22	नागपट्टिनम/कुड्डालोर क्षेत्र के आईपीपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली- पैकेज-क	पीजीसीआईएल	जनवरी-19
23	सीपत एसटीपीएस के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढीकरण	अडानी टीएल	मार्च-19
24	छत्तीसगढ़-(ख) के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढीकरण	अडानी टीएल	मार्च-19
25	भूटान में नई एचईपी से विद्युत अंतरण के लिए भारतीय प्रणाली में पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण	कल्पतरु	मार्च-19
26	छत्तीसगढ़ में आईपीपी और पश्चिमी क्षेत्र में अन्य उत्पादन परियोजनाओं के लिए प्रणाली सुदृढीकरण	अडानी टीएल	अगस्त-19
27	वेमागिरी से आगे के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण	पीजीसीआईएल	जनवरी-20
28	आईएसटीएस के एक भाग के रूप में गुडगांव क्षेत्र और पलवल में नए 400 केवी जीआईएस सबस्टेशनों का निर्माण	स्टरलाइट पावर टीएल	मार्च-20
29	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम (एनईआरएसएस-VI)	कल्पतरु	अक्टूबर-20
30	एनईआर प्रणाली के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-II (भाग-ख) और V (एनईआर-आईआईबी और v)	स्टरलाइट पावर टीएल	मार्च-21
31	राजस्थान एसईजेड से एलटीए आवेदन से संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग-क)	पीजीसीआईएल	मई-21
32	फतेहगढ़, जिला- जैसलमेर, राजस्थान में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली	अडानी टीएल	जुलाई-21
33	डब्ल्यूआर - एनआर इंटरकनेक्टर	पीजीसीआईएल	जुलाई-21
34	राजस्थान एसईजेड से एलटीए एप्लीकेशन से संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग-ख)	पीजीसीआईएल	अगस्त-21

35	राजस्थान एसईजेड भाग-घ से एलटीए एप्लीकेशन से संबद्ध पारेषण प्रणाली	अडानी टीएल	सितंबर-21
36	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XXI	पीजीसीआईएल	अक्टूबर-21
37	राजस्थान एसईजेड से एलटीए एप्लीकेशन से संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग-ग)	पीजीसीआईएल	अक्टूबर-21
38	खरगोन टीपीपी के लिए कनेक्टिविटी प्रणाली	स्टरलाइट पावर टीएल	दिसंबर-21
39	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-21 के लिए पारेषण प्रणाली (डब्ल्यूआरएसएस-21) भाग-क-भुज पीएस में पुनः इंजेक्शन के कारण गुजरात अंतः राज्यीय प्रणाली में देखे गए ओवरलोडिंग से राहत के लिए पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	अडानी टीएल	अगस्त-22
40	भुज-II, द्वारका और लाकाडिया में आरई उत्पादन से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रणाली	अडानी टीएल	अगस्त-22
41	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XVIII	पीजीसीआईएल	अगस्त-22
42	जाम खंभालिया पूर्लिंग स्टेशन के लिए पारेषण प्रणाली और द्वारका (गुजरात) में आरई परियोजनाओं (1500 मेगावाट) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जाम खंभालिया पूर्लिंग स्टेशन का इंटरकनेक्शन और सीजीपीएल स्विचयार्ड में एसोसिएटेड बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी की स्थापना	अडानी टीएल	अक्टूबर-22
43	गुजरात में भुज-II (2000 मेगावाट) में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल	नवंबर-22
44	डब्ल्यूआरएसएस-21 भाग - ख - भुज पीएस में पुनः इंजेक्शन के कारण गुजरात अंतः राज्यीय प्रणाली में देखे गए ओवर लोडिंग से राहत के लिए पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	स्टरलाइट पावर टीएल	जन.-23
45	राजस्थान एसईजेड भाग-च, चरण-II से एलटीए एप्लीकेशन से संबद्ध पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल	जून-23

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3636 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2014 से आरटीएम मोड के अंतर्गत, पावरग्रिड द्वारा निष्पादित एवं चालू की गई आईएसटीएस परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना के चालू होने का वर्ष
1	220 केवी करियन - चमेरा पूल लाइन की दूसरी सर्किट स्ट्रिंगिंग के लिए चमेरा पूलिंग पॉइंट पर एक 220 केवी बे का निर्माण	2022
2	वाराणसी (पीजी) सबस्टेशन पर 400 केवी की 02 जीआईएस लाइन बे का निर्माण	2021
3	12वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 400/220 केवी सबस्टेशनों का निर्माण (भाग-ख-1)	2018
4	12वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 400/220 केवी सब-स्टेशनों का निर्माण (भाग-क)	2022
5	उंचाहार टीपीएस से संबद्ध पारेषण प्रणाली (एटीएस) के लिए फतेहपुर में 400 केवी बे का प्रावधान	2016
6	सीपट एसटीपीएस के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2019
7	नबीनगर-II टीपीएस (3*660 मेगावाट) के लिए संबद्ध पारेषण प्रणाली	2019
8	मैनपुरी और सीकर में ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में वृद्धि	2018
9	1x315 एमवीए क्षमता के साथ संबद्ध आईसीटी बे में फतेहाबाद (पीजी) 400/220 केवी सबस्टेशन की ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में अभिवृद्धि	2019
10	रायबरेली और सितारगंज 220/132 केवी सबस्टेशनों पर ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में अभिवृद्धि	2018
11	उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में अभिवृद्धि	2015
12	दक्षिणी क्षेत्र में ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में अभिवृद्धि	2018
13	पश्चिमी क्षेत्र में बे और ट्रांसफार्मर का अभिवृद्धि	2015
14	लुधियाना (पीजी) सबस्टेशन 400/220 केवी पर ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में अभिवृद्धि	2023
15	220 केवी स्तर पर संबद्ध कार्यों सहित 1x500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी से 765/400/220 केवी मोगा (पीजी) एस/एस पर 1x250 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी को प्रतिस्थापित करना	2023
16	उत्तरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों की अभिवृद्धि - भाग-क	2015
17	उत्तरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों की अभिवृद्धि - भाग-ख	2019
18	बहरामपुर (पावरग्रिड)- भेरामारा (बांग्लादेश) दूसरी 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (भारतीय भाग)	2020
19	उत्तरी क्षेत्र में बस रिपेक्टर (चरण-II)	2017
20	श्रीकाकुलम क्षेत्र भाग-ग में ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एलटीओए विद्युत उत्पादन परियोजनाएं से संबद्ध सामान्य प्रणाली	2017
21	श्रीकाकुलम क्षेत्र भाग-क में ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एलटीओए विद्युत उत्पादन परियोजनाएं से संबद्ध सामान्य प्रणाली	2017
22	आंध्र प्रदेश के कृष्णापटनम क्षेत्र में आईएसजीएस परियोजनाओं से संबद्ध सामान्य प्रणाली	2014
23	ओडिशा में चरण-II विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए सामान्य पारेषण प्रणाली के अंतर्गत टीबीसीबी लाइनों से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2019
24	मैसर्स एसबीईएसएस सर्विसेज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 325 मेगावाट की पवन परियोजना के लिए कनेक्टिविटी और एलटीए	2022
25	आईएसटीएस के साथ कूडनकुलम 3 और 4 (2x1000 मेगावाट) के लिए कनेक्टिविटी	2018
26	400 केवी थिरुवलम एस/एस पर उच्च शॉर्ट सर्किट करंट लेवल को नियंत्रित करने के लिए पारेषण प्रणाली	2021
27	दक्षिणी क्षेत्र में फिक्स्ड लाइन रिपेक्टरों को स्विच करने योग्य लाइन रिपेक्टरों में बदलना	2018
28	उत्तरी क्षेत्र में फिक्स्ड लाइन रिपेक्टरों को स्विच करने योग्य लाइन रिपेक्टरों में बदलना	2020
29	डीवीसी और मैथन राइट बैंक परियोजनाओं से संबद्ध पूरक पारेषण प्रणाली	2017
30	डीवीसी और मैथन राइट बैंक विद्युत उत्पादन परियोजना की स्टार्ट अप विद्युत के लिए पारेषण प्रणाली	2014
31	पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-III (ईआरएसएस-III)	2019

32	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-IX (ईआरएसएस-IX)	2019
33	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XII (ईआरएसएस-XII)	2022
34	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XIV (ईआरएसएस-XIV)	2018
35	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-VIII (ईआरएसएस-VIII)	2015
36	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XIII (ईआरएसएस-XIII)	2017
37	पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXVI (ईआरईएस -XXVI)	2023
38	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ स्कीम-V (ईआरएसएस-V)	2020
39	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण-VII (ईआरएसएस-VII) से संबद्ध सबस्टेशन विस्तार कार्य	2017
40	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-X (ईआरएसएस-एक्स)	2014
41	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XVII (भाग-ख) [ईआरएसएस-XVII (भाग-ख)]	2022
42	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XVIII (ईआरएसएस-XVIII) से पावरग्रिड संबद्ध कार्य	2021
43	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XX (ईआरएसएस-XX)	2021
44	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XXIII (ईआरएसएस-XXIII)	2021
45	पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-XXIV (ईआरएसएस - XXIV)	2022
46	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-VI (ईआरएसएस-VI) से संबद्ध सबस्टेशन विस्तार कार्य	2017
47	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XI (ईआरएसएस-XI)	2019
48	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XV	2021
49	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम- XVII-भाग-क (ईआरएसएस-XVII (भाग-क))	2018
50	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में 220/66 केवी, 2x160 एमवीए जीआईएस की स्थापना, साथ ही 220 केवी चंडीगढ़ जीआईएस सबस्टेशन से 400/220 केवी पंचकुला (पीजी) सबस्टेशन तक 220 केवी डी/सी लाइन की स्थापना	2023
51	भूटान में मंगदेछू एचईपी से विद्युत अंतरण के लिए भारतीय प्रणाली में पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	2021
52	एनटीपीसी के उत्तरी करनपुरा (3x660 मेगावाट) विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2021
53	छत्तीसगढ़ राज्य में चंपा और रायगढ़ (तमनार के निकट) में आईपीपी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए पूर्ण स्टेशनों की स्थापना	2021
54	हरित ऊर्जा गलियारा आईएसटीएस - भाग घ	2020
55	हरित ऊर्जा गलियारा : अंतर-राज्य पारेषण स्कीम (आईएसटीएस) - भाग-ख	2019
56	हरित ऊर्जा गलियारा : अंतर-राज्यीय पारेषण स्कीम (आईएसटीएस) - भाग ग	2019
57	हरित ऊर्जा गलियारा : अंतर-राज्य पारेषण स्कीम (आईएसटीएस) - भाग-ए	2018
58	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़ , छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलुर , टीएम) - उत्तरी त्रिचूर (केरल) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक - स्कीम-I	2021
59	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़ , छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलुर , टीएम) - उत्तरी त्रिचूर (केरल) - स्कीम-II के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक-स्कीम-II	2021
60	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़ , छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलुर , टीएम) - उत्तरी त्रिचूर (केरल) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक - स्कीम-III	2021
61	आईएसटीएस के अंतर्गत अमृतसर (बालाचक) पीजी सबस्टेशन पर 1X500 एमवीए, 400/220 केवी (चौथा) का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर	2020
62	पीजीसीआईएल तूतीकोरिन-II जीआईएस पीएस में एक 230 केवी बे का कार्यान्वयन	2022
63	पश्चिमी क्षेत्र में बस रिपेक्टर एवं आईसीटी की संस्थापना	2017
64	कडप्पा, नेल्लोर, कुरनूल, रायचूर और तिरुवलम में बस रिपेक्टरों की संस्थापना	2019
65	पश्चिमी क्षेत्र में रिपेक्टरों की संस्थापना	2015
66	पश्चिमी क्षेत्र में स्टेटकॉम की संस्थापना	2019
67	भद्रावती एचवीडीसी बैंक टू बैंक स्टेशन पर ट्रांसफार्मर की स्थापना और अतिरिक्त कनवर्टर ट्रांसफार्मर की खरीद	2018
68	छत्तीसगढ़ में आईपीपी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए पश्चिम रेलवे के मध्य भाग के साथ छत्तीसगढ़ में पूर्ण स्टेशनों का एकीकरण	2014
69	डबल्यूआर और एनआर में अंतर-क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम (भाग-ख)	2018
70	डबल्यूआर और एनआर में अंतर-क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम (भाग-क)	2017
71	छत्तीसगढ़ में आईपीपी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए डबल्यूआर के पश्चिमी भाग में पारेषण	2017

	प्रणाली सुदृढीकरण	
72	झारखंड और पश्चिम बंगाल में चरण-1 विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली - भाग-ख	2016
73	कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना (2x1000 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली	2019
74	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम से संबद्ध लाइन बेज़-XXXVI	2023
75	एनआर में विभिन्न क्षेत्रीय सुदृढीकरण स्कीमों से संबद्ध लाइन बेज़	2018
76	एनआर में विभिन्न क्षेत्रीय सुदृढीकरण स्कीमों से संबद्ध लाइन बेज़	2023
77	एनईआरएसएस-XII	2023
78	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XIII (एनईआरएसएस-XIII)	2022
79	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-IX (एनईआरएसएस-IX)	2023
80	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-X (एनईआरएसएस-X)	2023
81	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XI (एनईआरएसएस-XI)	2023
82	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XIV (एनईआरएसएस-XIV) के लिए पारेषण प्रणाली	2023
83	एनएलसी - कराईकल 230kV डी/सी लाइन	2018
84	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-VIII (एनईआरएसएस-VIII)	2021
85	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-II (एनईआरएसएस-II) भाग क	2016
86	उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-IV (एनईआरएसएस-IV)	2019
87	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-VII (एनईआरएसएस-VII)	2018
88	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-III (एनईआरएसएस-III)	2019
89	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-XXI	2015
90	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-XXVIII	2016
91	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम- XXX	2019
92	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण-XL	2021
93	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण-XLII (एनआरएसएस -XLII)	2021
94	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-XIX	2016
95	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम (एनआरएसएस-XXXVIII) से संबद्ध आईसीटी और बे	2017
96	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-XXIX (एनआरएसएस-XXIX) के लिए 400केवी बे का प्रावधान	2018
97	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-XXVI	2015
98	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-XXXI (भाग-ख) के अंतर्गत लाइनों के लिए 400केवी बे का प्रावधान	2016
99	उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम - XXXVII (एनआरएसएस-XXXVII)	2022
100	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम (एनआरएसएसएस)-XXXV	2021
101	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-XXIV	2018
102	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-XXVII	2016
103	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-XXXII	2017
104	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम- XXXIV (एनआरएसएस-XXXIV)	2019
105	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-XVI	2017
106	उत्तरी क्षेत्रीय पारेषण सुदृढीकरण स्कीम	2023
107	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-VI से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2021
108	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-II, भाग-ख (एनईआरएसएस-II-बी) से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2020
109	डब्ल्यूआर में छत्तीसगढ़ और अन्य विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में आईपीपी के लिए प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2018
110	एनटीपीसी के गाडरवारा एसटीपीएस के लिए पारेषण प्रणाली के भाग-क से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2018
111	डब्ल्यूआर में खरगोन टीपीएस से संबद्ध प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2019
112	गोवा के लिए अतिरिक्त 400केवी फीड से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2021
113	उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-V से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2021
114	आरएपीपी 7 और 8 के भाग एटीएस के लिए शुजालपुर में 400 केवी बे का प्रावधान	2016
115	महेश्वरम (हैदराबाद) 765/400केवी पूर्लिंग स्टेशन के लिए स्कीम-कनेक्टिविटी लाइनों के लिए लाइन बे का प्रावधान	2017
116	उत्तरी क्षेत्र में सीरीज रिएक्टर का प्रावधान	2018
117	एनआर में नालागढ़ और लखनऊ में स्टेटकॉम का प्रावधान	2020
118	भारत (एनईआर) और बांग्लादेश के बीच रेडियल इंटरकनेक्शन - भारतीय भाग'	2016

119	बीकानेर पीजी, फतेहगढ़-II और भादला-II में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली	2023
120	400 केवी एन पी कुंटा - कोलार एस/सी लाइन के ओवरलोडिंग को कम करने के लिए क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम	2022
121	400केवी वेमागिरी एस/एस में 400केवी बे एक्सटेंशन में बाधाओं को दूर करना	2018
122	दक्षिणी क्षेत्र यानी वरोरा-वारंगल और चिलकलुरिपेटा -हैदराबाद-कुरनूल 765केवी लिंक में आयात के लिए अतिरिक्त अंतर-क्षेत्रीय एसी लिंक से संबद्ध सबस्टेशन कार्य	2019
123	वेमागिरी से आगे पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध सबस्टेशन कार्य	2020
124	देहगाम (पीजी) और रणछोड़पुरा (गेटको) एस/एस में फॉल्ट स्तर नियंत्रित करने के लिए स्कीम	2022
125	वर्धा सबस्टेशन में फाल्ट स्तर को नियंत्रित करने के लिए स्कीम	2022
126	मौजूदा हिरियुर और कोचि सबस्टेशनों पर ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में अभिवृद्धि	2023
127	सिबिकम में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से एनआर/डब्ल्यूआर तक विद्युत के अंतरण के लिए पारेषण प्रणाली (भाग-ख1)	2022
128	चरण II- भाग-च1 के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम	2023
129	भड़ला, राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्कों के लिए पारेषण प्रणाली	2019
130	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण-XXVI	2021
131	पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए स्पेयर आईसीटी और रिएक्टरों का प्रावधान	2017
132	विजाग एचवीडीसी प्रणाली के लिए स्पेयर कनवर्टर ट्रांसफार्मर की खरीद	2020
133	400 केवी रायपुर सबस्टेशन में स्प्लिट बस व्यवस्था और टर्मिनेटिंग लाइनों का पुनर्निर्माण/शिफ्टिंग	2014
134	ईआर में विभिन्न उप-स्टेशनों के लिए स्प्लिट बस व्यवस्था	2019
135	मोगा सबस्टेशन में उच्च लोडिंग और उच्च शॉर्ट सर्किट स्तर को नियंत्रित करने के लिए पारेषण स्कीम	2022
136	उत्तरी क्षेत्र में स्टेटिक वीएआर कम्पेसाटर (एसवीसी)	2017
137	उत्तरी क्षेत्र में सुदृढीकरण स्कीम	2017
138	एनटीपीसी की विंध्याचल-V परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए सबस्टेशन एक्सटेंशन (भाग-ख)	2019
139	एनटीपीसी की विंध्याचल-V परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए सबस्टेशन एक्सटेंशन (भाग-क)	2017
140	पूर्वी क्षेत्र से विद्युत के आयात के लिए दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध उप-स्टेशन कार्य	2020
141	बनासकांठा (राधानेस्टा), गुजरात में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क (700 मेगावाट) के लिए पूरक पारेषण प्रणाली	2020
142	छत्तीसगढ़ में भावी आईपीपी परियोजनाओं की अनुपूरक पारेषण स्कीम	2014
143	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण-XII	2018
144	दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण-XIII	2020
145	दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण-XVII	2015
146	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण-XXIV	2018
147	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण-XXV	2021
148	पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के लिए प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध पावरग्रिड सबस्टेशनों पर लाइन बे और रिएक्टर प्रावधान	2015
149	छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं के लिए पश्चिम क्षेत्र के उत्तर/पश्चिम भाग में प्रणाली सुदृढीकरण	2016
150	सासन और मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण	2015
151	छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं के लिए रायपुर- वर्धा कॉरिडोर में प्रणाली सुदृढीकरण	2017
152	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण-XXIII	2020
153	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण-XIV	2019
154	दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण-XIX	2015
155	दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण XVIII	2015
156	दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण-XX	2018
157	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण-XXI	2019
158	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण-XXII	2015
159	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम (एनआरएसएस-XXXVIII) से संबद्ध आईसीटी और बे	2019
160	तूतीकोरिन-II (पहले तिरुनेलवेली जीआईएस) और भुज पीएस पर प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम	2022
161	श्रीकाकुलम (भाग-ख) में एलटीओए परियोजनाएं ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एनसीसी पावर	2018

	प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से संबद्ध कॉमन प्रणाली भाग-ख	
162	दर्लिपल्ली टीपीएस से संबद्ध पारेषण प्रणाली	2017
163	ओडिशा में चरण-I उत्पादन परियोजना के लिए पारेषण प्रणाली - भाग-क	2016
164	ओडिशा में चरण-II उत्पादन परियोजनाओं के लिए कॉमन पारेषण प्रणाली से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2019
165	ओडिशा में चरण-II उत्पादन परियोजनाओं के लिए सामान्य पारेषण प्रणाली के तहत टीबीसीबी लाइनों से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2019
166	नए डबल्यूआर-एनआर 765केवी अंतर-क्षेत्रीय कॉरिडोर से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2021
167	भूटान में नए एचईपी से विद्युत के अन्तरण के लिए भारतीय प्रणाली में पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	2019
168	टोरेट पावर लिमिटेड के डीजीईएन टीपीएस (1200 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली	2018
169	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हेतु कनेक्टिविटी के लिए पारेषण प्रणाली (1320मेगावाट)	2016
170	यूटी डीडी में मगरवाड़ा में 400/220 केवी जीआईएस एस/एस की स्थापना के लिए पारेषण प्रणाली	2015
171	सिक्किम में स्थित उत्पादन परियोजनाओं से एनआर/डब्ल्यूआर तक विद्युत अन्तरण के लिए पारेषण प्रणाली-भाग-क	2016
172	सिक्किम में स्थित उत्पादन परियोजनाओं से एनआर/डब्ल्यूआर तक विद्युत अन्तरण के लिए पारेषण प्रणाली भाग-ख	2016
173	झारखंड और पश्चिम बंगाल में चरण-I उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली -भाग-क2	2016
174	आईएसटीएस से अपना एटीसी बढ़ाने के लिए गुजरात में पारेषण नेटवर्क का विस्तार (भाग क)	2022
175	काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना-3 और 4 से संबंधित पारेषण प्रणाली	2017
176	किशनगंगा एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली	2019
177	कृष्णापट्टनम यूएमपीपी- भाग-ग1 से संबद्ध पारेषण प्रणाली	2014
178	मौडा चरण-II (2x660 मेगावाट) उत्पादन परियोजना से संबद्ध टीएस	2017
179	मेजा टीपीएस से संबद्ध पारेषण प्रणाली	2016
180	रामपुर एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली	2014
181	आरएपीपी 7 और 8 भाग -ख से संबद्ध पारेषण प्रणाली	2018
182	आरएपीपी-7 एवं 8 भाग ग से संबद्ध पारेषण प्रणाली	2017
183	नेल्लोर (पीजी) की उच्च लोडिंग को नियंत्रित करने के लिए पारेषण प्रणाली - नेल्लोर पीएस 400 केवी (क्वाड) डी/सी लाइन	2021
184	एमबी पावर (एमपी) लिमिटेड की कनेक्टिविटी के लिए पारेषण प्रणाली	2014
185	बाढ़-II टीपीएस से संबद्ध तत्काल निकासी प्रणाली	2014
186	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली	2015
187	कृष्णापट्टनम यूएमपीपी- भाग -ख से संबद्ध पारेषण प्रणाली	2014
188	एनटीपीसी की लारा एसटीपीएस-I (2x800 मेगावाट) उत्पादन परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली	2017
189	ओडिशा में चरण-I उत्पादन परियोजना के लिए पारेषण प्रणाली - भाग-ख	2015
190	ओडिशा में चरण-I उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली - भाग-ग	2015
191	सोलापुर एसटीपीपी के लिए पारेषण प्रणाली (2x660 मेगावाट)	2015
192	सोलापुर एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली- भाग-क	2017
193	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पारेषण प्रणाली	2021
194	टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) से संबद्ध पारेषण प्रणाली	2020
195	आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली - भाग-क (चरण-I)	2017
196	आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली - भाग-ख (चरण-II)	2018
197	आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली - भाग ग (चरण-III)	2018
198	मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क (750 मेगावाट) के लिए पारेषण प्रणाली	2018
199	बनासकांठ (राधानेस्टा) गुजरात में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क के लिए पारेषण प्रणाली	2020
200	विंध्याचल-IV (1000मेगावाट) और रिहंद-III (1000 मेगावाट) उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली	2015
201	मुंद्रा यूएमपीपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण- भाग-क	2017
202	मुंद्रा यूएमपीपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (भाग-ख)	2019
203	नेवेली, तमिलनाडु में 2X500 मेगावाट नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड टीएस-1 (प्रतिस्थापन) (एनएनटीपीएस) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	2021

204	तुमकुर (पावागाड़ा), कर्नाटक में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली- चरण-I	2018
205	तुमकुर (पावागाड़ा), कर्नाटक में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली - चरण-II (भाग क)	2020
206	तुमकुर (पावागाड़ा), कर्नाटक में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क के लिए पारेषण प्रणाली - चरण-II भाग-ग	2019
207	तुमकुर (पावागाड़ा) [कर्नाटक तुमकुर (पावागाड़ा में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली] के लिए अतिरिक्त एटीएस - चरण-II (भाग-ख)	2021
208	कोस्टल एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड और इंड-बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड एलटीओए उत्पादन परियोजनाएं तूतीकोरिन क्षेत्र से संबंधित सामान्य प्रणाली भाग-क	2015
209	कोस्टल एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड और इंड-बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड एलटीओए उत्पादन परियोजनाएं तूतीकोरिन क्षेत्र से संबंधित सामान्य प्रणाली (भाग-ख)	2016
210	नागापट्टिनम/कुड्डालोर क्षेत्र में टीएस-आईएसजीएस परियोजनाएं - भाग-क1 (क)	2015
211	नागापट्टिनम/कुड्डालोर क्षेत्र में टीएस-आईएसजीएस परियोजनाएं भाग-क1 (ख)	2019
212	वर्धा-हैदराबाद 765केवी लिंक	2017
213	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-V	2019
214	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XIII	2015
215	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XIV	2018
216	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम से संबंधित पावरग्रिड कार्य-XV	2018
217	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XVI	2019
218	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XVII	2019
219	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XVIII	2019
220	छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआर - एनआर एचवीडीसी इंटरकनेक्टर	2017
221	डब्ल्यूआरएसएस-19	2022
222	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण-XX (डब्ल्यूआरएसएस-XX)	2022
223	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम (डब्ल्यूआरएसएस)-22	2023
224	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम (डब्ल्यूआरएसएस)-23	2022

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3636 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

टीबीसीबी मोड के अंतर्गत प्रगतिधीन आईएसटीएस परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम/तत्व का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	पूरा होने का प्रत्याशित समय
1	राजस्थान एसईजेड भाग-क, चरण-II से एलटीए अनुप्रयोगों से संबद्ध पारेषण प्रणाली	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन	सितंबर -23
2	राजस्थान एसईजेड भागख, चरण-II से एलटीए अनुप्रयोगों से संबद्ध पारेषण प्रणाली	पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	मार्च - 24
3	राजस्थान एसईजेड भाग-ग, चरण-आईआई से एलटीए अनुप्रयोगों से संबद्ध पारेषण प्रणाली	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन	सितंबर -24
4	राजस्थान एसईजेड भाग घ, चरण-II से एलटीए अनुप्रयोगों से संबद्ध पारेषण प्रणाली	सीकर II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	मार्च-24
5	राजस्थान एसईजेड भाग-छ, चरण- II से एलटीए अनुप्रयोगों से संबद्ध पारेषण प्रणाली	खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	मार्च-24
6	नीमच सोलर पार्क से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली (1000 मेगावाट)	नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड	फरवरी-24
7	पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम	ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (ईएनटीएल)	अक्तूबर-25
8	चरण II- भाग ख के तहत खावड़ा पीएस में 4.5 जीडबल्यू आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए पारेषण स्कीम	खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	मार्च-25
9	चरण II- भाग ग के तहत खावड़ा पीएस में 4.5 जीडबल्यू आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए पारेषण स्कीम	खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	मार्च-25
10	खावड़ा संभावित आरई जोन से आरई परियोजनाओं के एकीकरण से संबद्ध गुजरात में पारेषण नेटवर्क का विस्तार	खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	मार्च-25
11	खावड़ा आरई पार्क में खावड़ा पूलिंग स्टेशन-2 (केपीएस2) की स्थापना	केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड	दिसंबर-24
12	खावड़ा आरई पार्क में खावड़ा पूलिंग स्टेशन-3 (केपीएस3) की स्थापना	केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	दिसंबर-24
13	अंतर-क्षेत्रीय ईआर-डबल्यूआर इंटरकनेक्शन	ईआरडबल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	मार्च-25
14	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम - XXVII (डबल्यूआरईएस-XXVII) से संबद्ध पारेषण प्रणाली	रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सितंबर-24
15	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम - XXVIII (डबल्यूआरईएस-XXVIII) और XIX (डबल्यूआरईएस-XIX)-से संबद्ध पारेषण प्रणाली	धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	मार्च-25
16	राजस्थान एसईजेड भाग-ड, चरण-II से एलटीए अनुप्रयोगों से संबद्ध पारेषण प्रणाली	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सितंबर-24
17	गोवा को अतिरिक्त 400 केवी फीड और रायगढ़ (तमनार) पूल में संयोजित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से अतिरिक्त प्रणाली	गोवा-तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	मई-25
18	400 केवी उडुपी (यूपीसीएल) - कासरगोड डी/सी लाइन के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना	उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	दिसंबर-24
19	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XIX (डबल्यूआरएसएस-XIX) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-IX (एनईआरएसएस-IX)	मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड (तत्कालीन, वापी II- उत्तरी लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड)	जून-24
20	नांगलबीबरा में नये 220/132 केवी सबस्टेशन की स्थापना	नांगलबीबरा-बोंगईगांव ट्रांसमिशन लिमिटेड	जून-24
21	चिनाब घाटी एचईपीज़ में पाकलडुल एचईपी से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली - कनेक्टिविटी प्रणाली	किशतवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	अप्रैल-25
22	दक्षिणी क्षेत्र अर्थात वरोरा-वारंगल और चिलकलुरिपेटा - हैदराबाद -	वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	अगस्त-23

	कुरनूल 765 केवी लिंक में आयात के लिए अतिरिक्त अंतर क्षेत्रीय एसी लिंक		
23	एनटीपीसी (ईआरएसएस-XXIX) की उत्तरी करणपुरा (3x660 मेगावाट) उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी	नॉर्थ करनपुरा ट्रांसको लिमिटेड	नवंबर-24
24	करूर पूर्लिंग स्टेशन के लिए पारेषण प्रणाली (करूर पवन क्षेत्र और तिरुप्पुर पवन क्षेत्र के बीच एक स्थान पर) करूर पीएस पर पुगलुर - पुगलुर (एचवीडीसी) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड मूस एसीएसआर कंडक्टर के साथ) के दोनों सर्किट के एलआईएलओ के साथ।	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड/पीएफसी	सितंबर-23
25	चरण-I के तहत खावड़ा पीएस में 3 जीडब्ल्यू आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए पारेषण स्कीम	खावड़ा भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड/पीएफसी	जनवरी-25
26	महाराष्ट्र में उस्मानाबाद क्षेत्र (1 गीगावाट) में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड/आरईसी	अक्टूबर-23
27	कोप्पल विंड एनर्जी ज़ोन (कर्नाटक) में आरई स्रोतों से विद्युत की निकासी (2500 मेगावाट)	कोप्पल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड/पीएफसी	सितंबर-23
28	गडग (1000 मेगावाट), कर्नाटक में सोलर एनर्जी ज़ोन के लिए पारेषण स्कीम - भाग-क, चरण-I	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड / आरईसी	दिसंबर-23
29	गडग (1500 मेगावाट), कर्नाटक में सोलर एनर्जी ज़ोन के लिए पारेषण योजना - भाग-क, चरण-I	गडग II- ए ट्रांसमिशन लिमिटेड (रेन्यू ट्रांसमिशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी)	मई-24
30	मध्य प्रदेश में राजगढ़ (2500 मेगावाट) एसईजेड में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड/आरईसी	नवंबर-23
31	400 केवी डी/सी खंडूखाल (श्रीनगर) - रामपुरा (काशीपुर) लाइन (ट्विन एचटीएलएस*) (केआरटीएल)	खंडूखाल रामपुरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (केआरटीएल) (मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी (100%)/पीएफसी	सितंबर-24
32	बाबई (आरवीपीएनएल) में सीकर-नीमराना 400 केवी डी/सी लाइन के एलआईएलओ के साथ-साथ उत्तरी क्षेत्र (एनआरएसएस XXXVI) में प्रणाली सुदृढीकरण	एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड	दिसंबर - 24

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3636 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आरटीएम मोड के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा निष्पादित की जा रही निर्माणाधीन आईएसटीएस परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित कमीशनिंग समय-सीमा (माह-वर्ष)
1	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XII (एनईआरएसएस-XII)	नवंबर-23
2	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XVIII (एनईआरएसएस-XVIII)	अप्रैल-25
3	एनईआरएसएस-XIX	अप्रैल-24
4	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XXIII	नवंबर-24
5	अरुण-3-भारतीय भाग से विद्युत निकासी के लिए ट्रांस सिस्टम	अगस्त-23
6	गुजरात में आईएसटीएस से एटीसी बढ़ाने के लिए पारेषण नेटवर्क का विस्तार (भाग-ख)	मार्च-24
7	पारेषण परियोजना - रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की जामनगर ऑयल रिफाइनरी को जाम खंभालिया आईएसटीएस पीएस से जोड़ा जाएगा	दिसंबर-23
8	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली स्कीम XIX - पावरग्रिड कार्य	मार्च-25
9	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम -XXII	अगस्त-23
10	पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त आईसीटी का प्रावधान	अगस्त-23
11	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम - XXVII	अक्टूबर-23
12	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम - XXXI	अप्रैल-24
13	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम - XXVIII	दिसंबर-23
14	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम - XXV	अक्टूबर-24
15	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम - XXXVI	अक्टूबर-24
16	उत्तरी क्षेत्र में दोष स्तर को नियंत्रित करने की स्कीम (चरण-II)	अगस्त-23
17	दक्षिणी क्षेत्र में ट्रांसफोरमेशन क्षमता का संवर्धन	सितंबर-23
18	मैसर्स ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कुरनूल न्यू एस/एस में 1 400 केवी लाइन बे का कार्यान्वयन (मैसर्स ग्रीनको के लिए दूसरी 400 केवी लाइन बे)	दिसंबर-23
19	तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन पवन ऊर्जा क्षेत्र (तमिलनाडु) 500 मेगावाट में आरई की निकासी	अगस्त-23
20	पावागडा (तुमकुर) पीएस में 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (6वें) और सामान्य सुविधा कार्यो द्वारा ट्रांसफोरमेशन क्षमता का संवर्धन	दिसंबर-23
21	होसुर सबस्टेशन पर 1x500 एमवीए, 400/230 केवी आईसीटी (4वें) द्वारा ट्रांसफोरमेशन क्षमता का संवर्धन	नवंबर-23
22	अरासुर सबस्टेशन पर 1x500 एमवीए, 400/230 केवी आईसीटी (4वें) द्वारा ट्रांसफोरमेशन क्षमता का संवर्धन	फरवरी-24
23	मैसूर सबस्टेशन पर 1x500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी (4वें) द्वारा ट्रांसफोरमेशन क्षमता का संवर्धन	अप्रैल-24
24	कुरनूल पवन ऊर्जा क्षेत्र/सौर ऊर्जा क्षेत्र (एपी) के लिए पारेषण प्रणाली - भाग-क और भाग-ख	नवंबर-24
25	पीएसटीसीएल द्वारा 400/220 केवी अमृतसर (पीजी) पर 1 220 केवी लाइन बे की आवश्यकता	सितंबर-23
26	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम (डब्ल्यूआरईएस-26)	जून-24
27	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम (डब्ल्यूआरईएस-31) : भाग-ग	अगस्त-24
28	दक्षिणी क्षेत्र में सौर एवं पवन ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत के निर्यात के लिए कोल्हापुर से परे पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण - कोल्हापुर (पीजी) की री-कंडक्टिंग - कोल्हापुर 400 केवी डी/सी लाइन	अगस्त-23
29	भाटापारा (पीजी) में 1X500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (3वें) का संवर्धन	अगस्त-23
30	रायगढ़ (पीजी) सबस्टेशन में 1X500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी (तृतीय) द्वारा ट्रांसफोरमेशन क्षमता में संवर्धन	नवंबर-23
31	चिनाब घाटी एचईपीएस में पाकलदुल एचईपी से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली - एलटीए प्रणाली	अप्रैल-25

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3636 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कार्यान्वयन के लिए शुरू की जा रही नई आईएसटीएस परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	पारेषण स्कीम का नाम
1.	चरण-III के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली (20 गीगावाट)।
2.	सियोट, जम्मू एवं कश्मीर में 400/220 केवी, 2x315 एमवीए सब-स्टेशन का निर्माण
3.	छतरपुर एसईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली (1500 मेगावाट)
4.	अनंतपुरम (2500 मेगावाट) और कुरुनूल (1000 मेगावाट), आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण स्कीम
5.	बीदर (2500 मेगावाट), कर्नाटक में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण स्कीम
6.	लूहरी चरण-I एचईपी (210 मेगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली
7.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विस्तार स्कीम-XVI (एनईआरईएस-XVI) - नए गोगामुख 400/220/132kV सब-स्टेशन और संबंधित पारेषण लाइनों की स्थापना।
8.	राजस्थान में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली (7 गीगावाट) फेज-IV (भाग 1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स)
9.	कर्नाटक में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (फेज-II), कोप्पल-II (1 गीगावाट) (फेज-क और ख) और गडग-II (1 गीगावाट) (फेज-क) के एकीकरण के लिए पारेषण स्कीम
10.	फेज-III के अंतर्गत खावड़ा आरई पार्क से अतिरिक्त 7 गीगावाट आरई विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली
11.	धुले (2 गीगावाट) आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण स्कीम
12.	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार स्कीम XXXIII (डब्ल्यूआरईएस-XXXIII) - करेरा और संबंधित पारेषण लाइन में 2x1500 एमवीए, 765/400 केवी और 2x500 एमवीए, 400/220 केवी सब-स्टेशन की स्थापना।
13.	शौगटोंग करचम एचईपी (450 मेगावाट) तथा टिडोंग एचईपी (150 मेगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली
14.	मध्य प्रदेश चरण-II में राजगढ़ (1000 मेगावाट) एसईजेड में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली
15.	महाराष्ट्र में सोलापुर (1500 मेगावाट) एसईजेड में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली
16.	पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम -XXXIV (ईआरईएस-XXXIV) - पारादीप और संबंधित पारेषण लाइनों में 765/400 केवी, 2x1500 एमवीए जीआईएस सबस्टेशन की स्थापना।
17.	महाराष्ट्र के कल्लम क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र नेटवर्क विस्तार स्कीम (1.25 गीगावाट) - कल्लम पीएस पर परली (एम) - कर्जत (एम)/लोनीकांड-II (एम) 400 केवी डी/सी लाइन (ट्विन मूस) के दोनों सर्किटों का एलआईएलओ
18.	चरण-IV के अंतर्गत गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में संभावित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (7 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली
19.	चरण-V के अंतर्गत गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में संभावित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (8 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली
20.	राजस्थान आरईजेड फेज-IV (भाग-2:5.5 गीगावाट) (जैसलमेर/बाड़मेर कॉम्प्लेक्स) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली
21.	400/220 केवी, 1x500 एमवीए आईसीटी द्वारा 400/220 केवी नालागढ़ सब-स्टेशन पर परिवर्तन क्षमता का विस्तार
22.	400/220 केवी, 1x500 एमवीए आईसीटी द्वारा 400/220 केवी बीकानेर-II पीएस पर परिवर्तन क्षमता का विस्तार
23.	पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम - XXXV (ईआरईएस-XXXV) - रंगपो (पावरग्रिड) जीआईएस सब-स्टेशन परिसर के भीतर स्विचिंग व्यवस्था, ताकि रंगपो-मेली और रंगपो-रंगित 132 केवी एस/सी लाइनों को रंगपो एस/एस छोर पर बाईपास किया जा सके।
24.	1x315 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी द्वारा अमरगढ़ (जीआईएस) एस/एस में परिवर्तन क्षमता का विस्तार
25.	पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXXVI (ईआरईएस-XXXVI) आरा (पावरग्रिड) एस/एस में 220/132 केवी, 1x200 एमवीए (चौथी) आईसीटी की स्थापना
26.	कर्नाटक में मैसूर सबस्टेशन पर 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी द्वारा परिवर्तन क्षमता का विस्तार
27.	पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम- XXXVII (ईआरईएस-XXXVII) - 400/220 केवी, 2x500 एमवीए आईसीटी की स्थापना के साथ लखीसराय (पावरग्रिड) 400/132 केवी सब-स्टेशन में जीआईएस में 220 केवी स्तर का निर्माण
28.	तेलंगाना में महेश्वरम सब-स्टेशन पर 1x1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसीटी द्वारा परिवर्तन क्षमता का संवर्धन

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3642

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन

3642. श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों में बिजली कनेक्शनों की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) छत्तीसगढ़ के कोरबा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत जिला-वार कुल कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आबंटित निधि और इसके वास्तविक उपयोग का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार द्वारा देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की। सौभाग्य के तत्वावधान में, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। इसके बाद, सात राज्यों नामतः असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर हैं, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसकी भी संस्वीकृति दी गई थी। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

इसके बाद, राज्यों ने सूचित किया था कि कुछ घरों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है, जिसके निमित्त, राज्यों ने सूचित किया कि 4.43 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तदनुसार, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। यह स्कीम दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो चुकी है। सौभाग्य पोर्टल के अनुसार, इस स्कीम की अवधि के दौरान कुल 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रतिभागिता की। सौभाग्य के अंतर्गत देश में घरों के विद्युतीकरण के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए अनुसार हैं।

(ख) : छत्तीसगढ़ के कोरबा लोक सभा संसदीय क्षेत्र (कोरबा, कोरिया, गौरैला-पेंड्रा-मरवाही* क्षेत्रों को शामिल करते हुए) में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत अतिरिक्त घरों सहित सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से लाभान्वित घरों की जिले-वार कुल संख्या निम्नानुसार है:

जिला	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक सौभाग्य के अंतर्गत शामिल अतिरिक्त घर	वर्ष 2021-22 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत अतिरिक्त घर
कोरबा	30278	1004	0
कोरिया	23590	1507	187
बिलासपुर*	51156	0	0

* गौरैला-पेंड्रा-मरवाही जिले को बिलासपुर जिले से अलग किया गया और फरवरी, 2020 में इसका शुभारंभ किया गया।

(ग) : सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया है। पिछली किस्तों में जारी निधियों के रिपोर्ट किए गए उपयोग और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए किस्तों में निधियां जारी की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान सौभाग्य के अंतर्गत संवितरित और उपयोग किए गए अनुदान के ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(घ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति/वितरण मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और/अथवा राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के कार्यक्षेत्र में आता है। भारत सरकार सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी मदद करने के लिए अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है।

24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज़) ने केंद्र सरकार के साथ दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अप्रत्याशित घटनाओं के कारण नियोजित कटौतियों और हस्तक्षेपों को छोड़कर 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का दावा करते हैं। इस संबंध में, भारत सरकार ने दिनांक 31.12.2020 की अधिसूचना द्वारा विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किए, जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करना अनिवार्य है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3642 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अनुमति अतिरिक्त संस्वीकृति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत और अतिरिक्त घर		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक सूचित किए गए विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) (ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930	0	181,930			181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	1,745,149	200,000	1,945,149	480249	381507	2,326,656
4	बिहार	3,259,041	0	3,259,041			3,259,041
5	छत्तीसगढ़	749,397	40,394	789,791	21981	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045	0	377,045			377,045
10	झारखंड	1,530,708	200,000	1,730,708			1,730,708
11	कर्नाटक	356,974	26,824	383,798			383,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264	0	1,984,264	99722	0	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922	0	1,517,922			1,517,922
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	21135	0	108,115
16	मेघालय	199,839	0	199,839	420	401	200,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	132,507	0	132,507	7009	7009	139,516
19	ओडिशा	2,452,444	0	2,452,444			2,452,444
20	पुदुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	1,862,736	212,786	2,075,522	210843	52206	2,127,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	515,084	0	515,084			515,084
26	त्रिपुरा	139,090	0	139,090			139,090
27	उत्तर प्रदेश	7,980,568	1,200,003	9,180,571	334652	0	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751	0	248,751			248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	0	732,290			732,290
कुल		26,284,350	1,885,374	28,169,724	1,183,870	443,700	28,613,424

*सौभाग्य से पूर्व विद्युतीकृत और सौभाग्य के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3642 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत संवितरित और उपयोग किया गया राज्य-वार अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संवितरित और उपयोग किया गया अनुदान				
		2020-21	2021-22	2022-23	कुल	राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियां
1	अरुणाचल प्रदेश	0	7	0	7	7
2	असम	118	21	0	139	139
3	बिहार	17	24	0	41	41
4	छत्तीसगढ़	42	43	0	85	85
5	हरियाणा	0	5	0	5	5
6	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	-	-
7	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	-	-
8	झारखंड	60	68	0	128	128
9	कर्नाटक	0	9	0	9	9
10	केरल	13	12	0	25	25
11	लद्दाख	0	0	0	-	-
12	मध्य प्रदेश	6	140	0	146	146
13	महाराष्ट्र	0	20	0	20	20
14	मणिपुर	12	5	0	17	17
15	मेघालय	1	19	0	20	2
16	मिजोरम	6	1	0	7	7
17	नागालैंड	0	15	0	15	15
18	ओडिशा	0	78	0	78	78
19	पंजाब	0	0	0	1	1
20	राजस्थान	101	24	0	125	125
21	सिक्किम	1	0	0	1	1
22	तेलंगाना	0	1	0	1	1
23	त्रिपुरा	0	22	0	22	22
24	उत्तर प्रदेश	52	350	0	402	402
25	उत्तराखंड	1	6	0	7	7
26	पश्चिम बंगाल	16	46	0	62	62
	कुल	448	915	0	1,363	1,345

टिप्पणी: सौभाग्य स्कीम अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई थी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3660
जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

विद्युत आपूर्ति के लिए हरित ऊर्जा

3660. प्रो. जामयांग शेरींग नामग्याल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने द्वीपों, पहाड़ी क्षेत्रों और वन निवासियों सहित देश के सभी भागों को बिजली प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार के पास बाढ़/मौजूदा संसाधनों की कमी जैसी आपातकालीन स्थितियों के मामले में वैकल्पिक विद्युत उत्पादन प्रणाली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने विद्युत आपूर्ति के लिए हरित ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में हरित ऊर्जा आपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने कृषि और गैर-कृषि फीडर्स के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडर्स/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और देश भर के गांवों के विद्युतीकरण सहित वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत देश भर में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांव दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत हो गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार समाप्त हो गई है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-1** पर दिए गए हैं।

इसके साथ-साथ, भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से, अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की गई थी।

सौभाग्य के तत्वावधान में, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई है। सौभाग्य के अंतर्गत देश में घरेलू विद्युतीकरण के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ख) : वर्तमान में, देश की विद्युत प्रणाली एकल सिंक्रोनस ग्रिड के रूप में चल रही है। इसलिए, देश के किसी भी भाग में किसी भी आपातकालीन स्थिति के मामले में, विद्युत को शेष ग्रिड के सही भाग से बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, देश के किसी भी भाग में बाढ़/चक्रवात के कारण टावर गिरने/झुकने के कारण किसी भी उत्पादन स्टेशन अथवा पारेषण लाइनों को प्रभावित करने की स्थिति में, ग्रिड के सही भाग से प्रभावित क्षेत्र (क्षेत्रों) में विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी उपाय के रूप में आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) टावरों का उपयोग किया जा रहा है।

आज की तिथि के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर कुल संस्थापित क्षमता लगभग 422 गीगावाट है, जबकि अखिल भारतीय व्यस्ततम मांग अब तक अधिकतम 223 गीगावाट तक पहुंची है। देश में बिना किसी कटौती के विद्युत की मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। राज्य-वार संस्थापित क्षमता के ब्यौरे **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं।

(ग) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, नामतः ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर स्कीम, सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) स्कीम चरण-II (सरकारी उत्पादक स्कीम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम', सौर पार्क स्कीम, पीएम-कुसुम स्कीम, ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर स्कीम, बायोमास कार्यक्रम, अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, बायोगैस कार्यक्रम, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) कार्यक्रम, तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन स्कीम।

(घ) : लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र ने सूचित किया है कि संघ राज्य क्षेत्र में एनएचपीसी लिमिटेड के 45 मेगावाट और 44 मेगावाट के अलची और चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी संयंत्र (एचईपी) प्रचालनरत हैं।

लद्दाख में निम्नलिखित हरित ऊर्जा परियोजनाएं भी विकास के चरण में हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

- (i) प्रधान मंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के अंतर्गत भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) लिमिटेड लेह में 50 मेगावाट पीक (एमडब्ल्यूपी) सौर परियोजना विकसित कर रहा है।
- (ii) तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) लिमिटेड लद्दाख के पुगा और चांगथांग में भू-तापीय ऊर्जा विकसित कर रहा है।
- (iii) चांगथांग के पांग क्षेत्र में 13 गीगावाट सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा पार्क विकसित किया जा रहा है। एसईसीआई और पावर ग्रिड क्रमशः ऊर्जा पार्क/पारेषण प्रणाली के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/सर्वेक्षण तैयार कर रहे हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3660 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2015-16 से 28.04.2018 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवासित जनगणना गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिज़ोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	18,374

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3660 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अनुमत अतिरिक्त संस्वीकृति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत और अतिरिक्त घर		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक सूचित विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) (ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930	0	181,930			181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	1,745,149	200,000	1,945,149	480249	381507	2,326,656
4	बिहार	3,259,041	0	3,259,041			3,259,041
5	छत्तीसगढ़	749,397	40,394	789,791	21981	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045	0	377,045			377,045
10	झारखंड	1,530,708	200,000	1,730,708			1,730,708
11	कर्नाटक	356,974	26,824	383,798			383,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264	0	1,984,264	99722	0	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922	0	1,517,922			1,517,922
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	21135	0	108,115
16	मेघालय	199,839	0	199,839	420	401	200,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	132,507	0	132,507	7009	7009	139,516
19	ओडिशा	2,452,444	0	2,452,444			2,452,444
20	पुदुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	1,862,736	212,786	2,075,522	210843	52206	2,127,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	515,084	0	515,084			515,084
26	त्रिपुरा	139,090	0	139,090			139,090
27	उत्तर प्रदेश	7,980,568	1,200,003	9,180,571	334652	0	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751	0	248,751			248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	0	732,290			732,290
कुल		26,284,350	1,885,374	28,169,724	1,183,870	443,700	28,613,424

*सौभाग्य से पूर्व विद्युतीकृत और सौभाग्य के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3660 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य-वार, ईंधन-वार संस्थापित क्षमता के ब्यौरे (दिनांक 30.06.2023 तक की स्थिति के अनुसार)

(सभी मान मेगावाट में)

क्षेत्र	राज्य	मोड वार ब्यौरा							कुल जोड़
		ताप				न्यूक्लियर	नवीकरणीय		
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल		जल विद्युत	आरईएस* (एमएनआरई)	
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	3649	0	2115	0	103	723	312	6903
	हरियाणा	8817	0	582	0	101	2325	1440	13264
	हिमाचल प्रदेश	145	0	0	0	29	3249	1086	4509
	जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख	577	0	304	0	68	2322	264	3535
	पंजाब	8214	0	150	0	197	3818	1891	14271
	राजस्थान	11569	1580	775	0	557	1942	23182	39604
	उत्तर प्रदेश	20388	0	1030	0	289	3424	4792	29923
	उत्तराखंड	602	0	520	0	31	2096	934	4183
	चंडीगढ़	45	0	15	0	8	102	64	233
	केन्द्रीय-अनाबंटित	1431	0	291	0	237	751	0	2711
कुल	55437	1580	5781	0	1620	20752	33966	119135	
पश्चिमी क्षेत्र	गोवा	492	0	68	0	34	2	36	632
	दमन और दीव	165	0	43	0	10	0	41	259
	गुजरात	17298	1400	6587	0	797	772	21237	48092
	मध्य प्रदेश	15913	0	332	0	382	3224	6125	25975
	छत्तीसगढ़	12222	0	0	0	92	233	1314	13860
	महाराष्ट्र	25254	0	3513	0	879	3332	12973	45951
	दादरा एवं नगर हवेली	422	0	66	0	13	0	5	507
	केन्द्रीय-अनाबंटित	2835	0	198	0	333	0	0	3366
कुल	74602	1400	10806	0	2540	7563	41730	138641	
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	11231	189	4067	37	127	1674	9378	26703
	तेलंगाना	9439	61	832	0	149	2480	5135	18095
	कर्नाटक	9948	486	0	25	698	3632	17552	32341
	केरल	2059	325	534	160	362	1864	1134	6438
	तमिलनाडु	12754	1959	1027	212	1448	2178	18259	37837
	एनएलसी	0	66	0	0	0	0	0	66
	पुदुचेरी	141	118	33	0	86	0	43	421
	केन्द्रीय-अनाबंटित	1426	434	0	0	450	0	0	2310
कुल	46997	3640	6492	434	3320	11827	51501	124211	
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	7397	0	0	0	0	110	400	7907
	झारखंड	2373	0	0	0	0	191	128	2692
	पश्चिम बंगाल	8650	0	80	0	0	1396	636	10762
	डीवीसी	3037	0	0	0	0	186	0	3223

क्षेत्र	राज्य	मोड वार ब्यौरा							कुल जोड़
		ताप				न्यूक्लियर	नवीकरणीय		
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल		जल विद्युत	आरईएस* (एमएनआरई)	
ओडिशा		5020	0	0	0	0	2163	634	7817
सिक्किम		14	0	0	0	0	633	60	707
केन्द्रीय-अनाबंदि		1737	0	0	0	0	85	0	1822
कुल		28229	0	80	0	0	4764	1857	34930
पूर्वांचल क्षेत्र	असम	403	0	742	0	0	522	192	1858
	अरुणाचल प्रदेश	37	0	47	0	0	545	145	773
	मेघालय	0	0	110	0	0	417	50	578
	त्रिपुरा	0	0	487	0	0	68	34	590
	मणिपुर	16	0	82	36	0	87	18	238
	नागालैंड	32	0	74	0	0	66	36	208
	मिजोरम	31	0	60	0	0	98	76	265
	केन्द्रीय-अनाबंदि	113	0	64	0	0	140	0	316
कुल	631	0	1665	36	0	1944	551	4827	
द्वीप	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	93	0	0	35	128
	लक्षद्वीप	0	0	0	27	0	0	3	30
	कुल	0	0	0	120	0	0	38	158
अखिल भारत		205895	6620	24824	589	7480	46850	129643	421902

स्रोत: मासिक संस्थापित क्षमता रिपोर्ट - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3678

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण

3678. श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण का कोई मूल्यांकन/आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत दो वर्षों के दौरान मूल्यांकित प्रदूषण के अन्य क्या संबंधित प्रभाव हैं;

(ग) कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में विद्युत संयंत्रों की कोयले पर निर्भरता को कम करने अथवा न्यूनतम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज) से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा यथा अधिसूचित और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार उत्सर्जन मानदंडों अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना द्वारा टीपीपीज द्वारा उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। सीपीसीबी और राज्य एजेंसियों द्वारा इन मानदंडों के अनुपालन की नियमित निगरानी की जाती है।

टीपीपीज कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए सुपरक्रिटिकल और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं, जिससे कोयले की खपत और उत्सर्जन में कमी आ रही है। दिनांक 31.07.2023 तक कुल

63830 मेगावाट क्षमता के सुपर क्रिटिकल यूनिट (92 यूनिट) और 1320 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल यूनिट (2 यूनिट) आरंभ की जा चुकी हैं।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 12 जुलाई, 2021 को (ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग संबंधी राष्ट्रीय मिशन) (समर्थ) का गठन किया, और दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 को संशोधित बायोमास नीति जारी की गई, जिसमें देश की सभी टीपीपीज को कोयले के साथ को-फायरिंग करने में 5% बायोमास पैलेट्स का उपयोग करने के लिए अधिदेशित किया गया। इस नीति को आगे मंत्रालय के दिनांक 16.06.2023 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें वर्ष 2024-25 से ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज) में 5% बायोमास कोफायरिंग हेतु अधिदेशित किया गया है। वर्ष 2025-26 से यह बाध्यता बढ़कर 7% हो जाएगी।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट की संचयी संस्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सरकार जीवन के सभी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:

- (i) विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल, 2022 में "नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण विद्युत के साथ बंडलिंग के माध्यम से ताप/जल विद्युत संयंत्रों के उत्पादन और शेड्यूलिंग में लचीलेपन" के लिए स्कीम जारी की जिसमें ताप और जल-विद्युत दोनों को नवीकरणीय ऊर्जा से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान है। यह स्कीम आरई क्षमता अभिवृद्धि को बढ़ाती है, ताप विद्युत उत्सर्जन को कम करती है, वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के उपभोग को बढ़ाती है, और नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) को पूरा करने में सुविधा प्रदान करती है।
- (ii) नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम 2022।
- (iii) वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) घोषणा।
- (iv) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत की बिक्री को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम)।
- (v) दिनांक 30 जून, 2025 तक शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों में छूट।
- (vi) बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
- (vii) नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का सृजन करना।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप चरण II, 12000 मेगावाट (एमडब्ल्यू) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) स्कीम चरण-II आदि जैसी स्कीमों।
